अंक २

संख्या २१

सोमवार

११ अगस्त, १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३६८७—३६९४]

(मूल्य ४ आने)

480 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, ११ अगस्त, १९५२

[सभा की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्षमहोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बिहार में अनावृष्टि और बाढ़ें

श्री एस० एन० दास : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि एक ओर दक्षिण बिहार के एक बड़े भाग में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, और दूसरी ओर उत्तर बिहार का बहुत बड़ा भाग पिछले दो महीनों में दो बार बाढ़ों से बरबाद हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों क्षेत्रों में अनावृष्टि तथा बाढ़ों से फसलों को कितनी क्षति हुई है, और इन दोनों क्षेत्रों के पीड़ित जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इन उक्त क्षेत्रों की वर्तमान खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट पहुची है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता मांगी है; और

PSD

(ङ) यदि हां तो क्या उनके इस संकट को दूर करने के लिये कोई सहायता दी गई है अथवा दी जाने वाली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) और (ख). अभी हाल में बिहार सरकार ने एक रिपोर्ट भेज दी है जिसमे बताया गया है कि पटना, गया, शाहाबाद, मुंघेर और हजारी बाग के कई क्षेत्रों मे वर्षा न होने के कारण धान की पौध सूख गई है, और इस तरह १८ हजार वर्ग मील क्षेत्र अनावृष्टि से प्रभावित हुआ है, जिस में एक करोड़ २५ लाख व्यक्ति रहते हैं। उत्तर बिहार में दरभंगा तथा सहरसा जिलों का एक बड़ा क्षेत्र, जो १ हजार वर्ग मील पर फैला हुआ है, कोसी की बाढ़ों से पीड़ित हुआ है, और इस क्षेत्र में लगभग ५ लाख व्यक्तियों पर बाढ़ों के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बिहार सरकार ने बतलाया है कि अभी इस अवस्था में बाढ़ों और अनावृष्टि के कारण क्षति का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता. किन्तु इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि इन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शरद ऋतु की फसलों को बहुत अधिक क्षति हुई है।

(ग) बिहार सरकार की सविस्तार रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है किन्तु उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि तत्काल मांगों को पूरा करने के लिये बिहार सरकार के पास इस समय पर्याप्त

खाद्य राशियां मौजूद हैं । यों तो चावल के मूल्य में वहां चारों ओर वृद्धि हो रही है ।

(घ) और (ङ). पिछले कई दिनों में बिहार सरकार ने केन्द्र से अनाज की जो भी मांग की है वह निम्न में दी जाती है:

चावल	५,०००	टन
गेहूं	२०,०००	टन
मिलो	६,०००	टन

अनाज की उक्त राशियों को मुहैय्या करने के लिये व्यवस्था की जा चुकी है, और केन्द्रीय सरकार बिहार-वासियों को पालने के लिये अनाज की ये अपेक्षित राशियां वहां भेजने की स्थिति में है । बिहार सरकार ने और भी प्रार्थना की है कि वहां के अभावग्रस्त क्षेत्रों में वितरण करने के लिये उन्हें ९ रुपये प्रति मन की दर से मिलो मुहैय्या किया जाय, और यह भी कहा है कि केन्द्र द्वारा भेजे गये गेहूं के संचय का मूल्य इस तरह का रखा जाय कि बिहार सरकार उसे १९ रुपये प्रति मन के हिसाब से बेच सके । उन की इन दोनों प्रार्थनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : सहायता पहुंचाने के लिये अभी हम सविस्तार रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । खाद्य के सम्बन्ध में मैं आपको आंकड़ तो बतला चुका हूं कि उन्होंने ५,००० टन चावल, २०,००० टन गेहूं और ६,००० टन मिलो मांगे हैं, और हमने बिहार को अनाज भेजने के लिये परिवहन की व्यवस्था भी कर दी है । बिहार सरकार ने रियायतों के सम्बन्ध में यह भी प्रार्थना की थी कि पीड़ित क्षेत्रों में वितरण करने के लिये उन्हें ९ रुपये प्रति मन की दर से मिलो दिया जाय ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें, जो कुछ समय से बन्द पड़ी थीं, पुनः खोल दी गई हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ९ रुपये प्रति मन की रियायती दर से मिलो मांगने का यही अभिप्राय है कि वहां सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायेंगी ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों में पुनः अनाज की दुकानें खोली जा चुकी हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमें इस की कोई भी सूचना नहीं । हम तो सविस्तार रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की नई पोद लगाई गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे पास इस की कोई सूचना नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : पूर्वोक्त प्रश्न के भाग (क) की ओर निर्देश करते हुए मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि प्रति वर्ष बिहार के कई भागों में अनावृष्टि और सहरसा तथा दरभंगा जिलों में बाढ़ों का प्रकोप रहता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम इसे प्रति वर्ष का प्रकोप नहीं मान सकते । जब भी प्रकृति का प्रकोप होता है, इस प्रकार की दुर्घटनायें हो जाती हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार उत्तरी बिहार में बाढ़ों का प्रकोप और दक्षिणी बिहार में अनावृष्टि का प्रकोप एक सुयोजित आधार पर सदा के लिए

समाप्त करने के लिए इन खण्डशः प्रयासों के स्थान पर कोई ठोस कार्य करना चाहती है ?

श्री किदवई : क्या वह अपना प्रश्न दोहरायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या बाढ़ों के प्रकोप से हो जाने वाली क्षतियों को दूर करने के लिये कोई स्थाई उपचार किया जायेगा ; वह सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यदि अब यहां वर्षा हो जाय तो धान की पोधें मुहैय्या करने के लिये कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री किदवई : यह तो वर्षा होने पर ही निर्भर है। वहां का किसान ही स्वयं प्रत्येक संभव उपचार किया करता हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : में ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि बिहार में वहां के जिला प्रधान कार्यालों में बहुत से नल-कूपों का सामान बेकार पड़ा है, और उसे बिहार के उन कृषकों को, जो उसको लेने के बहुत इच्छुक हैं, नहीं दिया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य है कि इस बर्ष भी वे ही क्षेत्र पीड़ित रहे हैं जो विगत वर्ष पीड़ाग्रस्त थे ? यदि हां तो किस प्रकार की स्थायी व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार ने वहां कुटीर उद्योग आदि खोलने के प्रश्न पर विचार प्रारम्भ किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक और माननीय सदस्य ने भी यही प्रश्न पूछा था।

श्री किदवई : बाढ़ को सदा ही एक आपदा नहीं कहा जाता। जब कभी भी नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो पास-पड़ोस के क्षेत्रों की अगली फसल बहुत ही समृद्ध हुआ करती है।

खाद्य सहायता

श्री मुहीउद्दीन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री आयतित खाद्य पर राज्यों को १९५१-५२ में दी गई १५·८१ करोड़ की राजसहायता के सम्बन्ध में २, जून १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसी वर्ष भारत में समाहार किये गये अनाज पर राजसहायता के रूप में राज्यों को कोई अतिरिक्त धनराशि दी थी ; और

(ख) यदि अपरोक्त भाग क) का उत्तर हां में है तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त सहायता की वह धनराशि (राज्यवार) कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा समाहार किये गये स्थानीय अनाज पर कोई भी सहायता नहीं दिया करती है। यों तो, भारत सरकार राज्यों को उनके आयात किये गये अनाज की रसद पर सहायता देती है। १९५१-५२ में भारत सरकार ने ५२ करोड़ ६३ लाख रुपये की सहायता दी थी जिस में राज्य सरकारों को दी गई १५ करोड़ ८१ लाख रुपये की नगद सहायता भी सम्मिलित है।

(ख) चूंकि स्थानीय समाहार के अनाज पर कोई सहायता नहीं दी जाती, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मुहीउद्दीन: यह बतलाया गया है कि १५ करोड़ ८१ लाख रुपये नगद दिये गये हैं। क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि ५२·६३ करोड़ रुपये की इस राशि को किस प्रकार सहायता के रुप में दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): तीन प्रकार से सहायता दी जाती है : नगद धन के रूप में, आयात किये गये अनाज के विनिमय में दी गई जूट की वस्तुओं पर बढ़ाये गये शुल्क के रूप में, और आयात किये गये अनाज के संचय-मूल्य में कमी किये जाने के रूप में तथा अमरीका से ऋण पर लिये गये गेहूं के रूप में सहायता दी जाती है।

श्री मुहीउद्दीन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या १९५२–५३ के लिये ५२ करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा रही है ?

श्री किदवई : नहीं।

सोमवार,
११ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार ११ अगस्त १९५२

सदन की बैठक नौ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्षपद-पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९-१० म० पू०

विशेषाधिकार समिति

श्री सुन्दरैया के कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कालावधि का विस्तार

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : गृह कार्य मन्त्री की ओर से मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विशेषाधिकार समिति को श्री पी० सुन्दरैया सदस्य राज्य परिषद् के कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये दी गई कालावधि को सदन के आगामी सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ।

पटल पर रखे गए कागज़

कर्मचारी राज्य-बीमा निगम के प्राक्कलन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८, की धारा ३९ के अन्तर्गत मैं निम्न कागज़ों में से प्रत्येक की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :

(१) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के १९५१-५२ के लिए संशोधित प्राक्कलन; तथा

(२) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के १९५२-५३ के लिए आयव्ययक प्राक्कलन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ४—०.७ (२०)]

संसद सदस्यों के बंगलों तथा फ़्लैटों के किराए क पुनर्निर्धारण क सम्बन्ध में विवरण

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं संसद सदस्यों के बंगलों और फ्लैटों के किराए के निर्धारण के सम्बन्ध में एक विवरण सदन-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी—५२।५२]

श्री वैलायधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनसूचित जातियां) : क्या हम इस समय इस पर चर्चा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : विवरणों पर इस समय चर्चा नहीं होती।

सम्पत्ति शुल्क विधेयक

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पत्ति शुल्क के आरोपण तथा

[श्री त्यागी]

संग्रहण का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री त्यागी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) संशोधन विधेयक—समाप्त

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जब यह विधेयक पहली बार इस सदन में पुरःस्थापित हुआ था उस समय देश विकट आर्थिक संकट में फंसा हुआ था। मुद्रास्फ़ीति के प्रभाव से हम सभी दुखी हो रहे थे और चारों ओर से यह मांग की जा रही थी कि खाद्य वस्तुओं तथा अन्य सारभूत पदार्थों के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए कोई विधान बनना चाहिये। आज इस विधान को बने दो अढ़ाई वर्ष हो चले हैं। हम इस समय १९४९ अथवा १९५० की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में हैं। परन्तु मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। भारत के कई एक भागों में अब भी मूल्य अत्यधिक ऊंचे हैं।

उदाहरणतः खाद्य वस्तुओं के मूल्यों को ही लीजिये। माननीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने खाद्य वस्तुओं को बहुत कुछ विनियंत्रित कर दिया है। इस के परिणाम स्वरूप मद्रास राज्य और त्रावंकोर-कोचीन के कुछ भागों में मूल्य गिर गए हैं। परन्तु देश के कई एक भागों में जहां दरिद्रता, अकाल और भूक एक पुराने रोग की भांति चले आ रहे हैं मुद्रास्फ़ीति की प्रवृत्ति अभी भी ज़ोरों पर है। उदाहरणतः आंध्र देश, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में इस प्रकार की स्थिति बतलाई जा रही है।

इस विधि का शुद्ध परिणाम तो निस्सन्देह अच्छा ही रहा है परन्तु एक शिकायत इस बात की है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रण सम्बन्धी जो नियम बनाए गए हैं वह पर्याप्त रूप में प्रभावी नहीं हैं।

कपड़े सम्बन्धी नियन्त्रणों का उदाहरण लिया जाये तो पता चलता है कि इस विषय में जिस नीति का अनुसरण किया गया है वह दृढ़तापूर्ण नहीं थी। मैं सदैव के लिए नियन्त्रण के पक्ष में नहीं हूं। कपड़े के वर्तमान उत्पादन को देखते हुए तो उन पर से नियन्त्रण पूर्णतः हटा दिया जाना चाहिये।

तैल-उत्पादन दक्षिण भारत का एक महान उद्योग है परन्तु हमें इसके निर्यात के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके फ़लस्वरूप अच्छे मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती।

नियन्त्रण यदि रखा जाए तो वैज्ञानिक आधार पर रहना चाहिए अन्यथा इसे हटा देना चाहिये। सीमेंट इस समय पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, अतः अब उस पर नियन्त्रण की कुछ आवश्यकता नहीं है। नियन्त्रण के फ़लस्वरूप कोटायाम में सीमेंट के भारी स्टाक एकत्रित हो रहे हैं और मालिक उसे बेचने में असमर्थ हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि देश भर से नियन्त्रणों का सर्वथा अन्त कर दिया जाय। जब किसी वस्तु की कमी देखी जाय तो तो उस समय उस पर नियन्त्रण आवश्यक होता है। देश की वर्तमान मुद्रास्फ़ीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुछ उपाय होने आवश्यक हैं। ऐसा करने से ही मूल्य नीचे लाए जा सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : इस क्षुद्र विधेयक का आशय उस अधिनियम को बनाए रखना है जो समाप्त होने वाला है। इस प्रक्रम पर नियन्त्रण के विरुद्ध कुछ कहना असामयिक होगा। विशेषकर जब कि हम ने आयोजित तथा राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था के

सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया हुआ है तो कम से कम उत्पादन तथा मूल्य के विषय में तो नियन्त्रण अवश्य ही होना चाहिये। कठिनाई इस बात की है कि यह नियन्त्रण एक ऐसी मशीनरी द्वारा चलाया जा रहा है जिसके कर्म-कौशल तथा सत्यशीलता के बारे में जनता के मन में सन्देह की धारणा बन चुकी है। एक सन्देह यह भी है कि कई एक ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में भी नियन्त्रण से काम लिया जा रहा है जहां इसकी नितान्त आवश्यकता नहीं है वरण केवल सम्बद्ध विभाग के हितार्थ ही उसे चालू रखा जा रहा है।

सर्व प्रथम खाद्यान्न को लीजिये वर्तमान खाद्य मन्त्री ने एक बड़ा साहसपूर्ण पग उठाया है। यद्यपि अभी तक यह एक प्रयोग मात्र ही है तो भी ऐसा ज़ान पड़ता है कि परिणाम अच्छे होंगे। गत निर्वाचनों के समय लोग सरकार तथा कांग्रेस को प्रायः इसी बात पर बुरा कहते थे कि नियन्त्रण ठीक प्रकार से नहीं चलाये जा रहे। यदि खाद्यान्न पर से नियन्त्रण हटा दिया जाय तो इससे जनता का असन्तोष बहुत कुछ दूर हो सकता है। इसका सब से बुरा लक्षण समाहार की नीति तथा प्रणाली है। प्रायः गांव वालों से खाद्यान्न बहुत कम मूल्य पर ले लिया जाता है और जब उन्हें स्वयं आवश्यकता होती है तो उन्हें अत्यधिक मूल्य पर फिर खरीदना पड़ता है।

इस विधि का पारण तो केन्द्र द्वारा हो रहा है परन्तु इसके निष्पादन तथा अभिपूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होगा। इस विषय में क्या आश्वासन दिया जा सकता है कि राज्यों के प्राधिकारी इस विषय में केन्द्रीय सरकार को पूर्ण सहयोग देंगे और उसकी नीति का पूर्णतः अवलम्बन करेंगे ?

माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री ने द्वितीय सदन में कुछ एक बातें अंगीकार की हैं। उन्होंने अंगीकार किया है कि नियन्त्रणों का निष्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा है। उनका निर्देश विशेष रूप से समाचार पत्रों द्वारा उपभुक्त काग़ज़ की ओर था। माननीय मन्त्री कहते हैं कि प्रत्येक समाचार पत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। वर्तमान स्थिति में छोटे समाचार पत्र बड़े समाचार पत्रों के बस में रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना अभ्यंश या तो उन से और या आयात कर्ताओं द्वारा लेना होता है। जब सरकार का कागज़ पर नियन्त्रण है तो मूल्यों पर भी होना चाहिये।

देश में उत्पादित काग़ज़ तथा इस्पात के मूल्य विदेशी काग़ज़ तथा इस्पात से बहुत कम हैं, अतः सरकार को इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिये। इस्पात के विषय में तो थोड़ा बहुत प्रयत्न हो भी रहा है परन्तु काग़ज़ की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल मध्य प्रदेश में 'नेपा' नाम की एक फ़ैक्टरी है परन्तु उसके विषय में भी कुछ पता नहीं कि कब चालू हो सकेगी। यह एक राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है अतः केन्द्रीय सरकार को इस विषय में पूर्ण सहयोग और सहायता देनी चाहिए।

सरकार को अन्य प्रकार के काग़ज़ के उत्पादन की वृद्धि के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन भी देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है।

कोयले को स्थिति भी कुछ असाधारण सी है। यद्यपि उत्पादन पर कोई नियन्त्रण नहीं है कई एक अन्य दिशाओं में नियन्त्रण लागू है और यह अधिकार एक कोयला आयुक्त को मिले हुए हैं जो कि एक अभारतीय व्यक्ति है और जिसकी गतिविधियों तथा मनोवृत्ति के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की आवश्यकता है। कोयला और पटसन यह दो

[श्री ए० सी० गुहा]

हमारे मुख्य उद्योग हैं परन्तु इन दोनों का नियन्त्रण प्रायः अभारतीय हाथों में है। सरकारी नियन्त्रण मुख्यतः परिवहन और वितरण के सम्बन्ध में है परन्तु पश्चिमी बंगाल के कोयला-क्षेत्र के इतना निकट होने पर भी वहां परिवहन का पर्याप्त प्रबन्ध न होने के कारण कोयले की कमी हो रही है और उसके मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं।

कपड़े के विषय में, मैं नहीं समझता कि राज्यों के अभ्यंशों को मिलों से हटाने के लिए राज्यों द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ही क्यों हों। वैसे तो कपड़े पर से लगभग सभी प्रकार का नियन्त्रण हट चुका है परन्तु यह राज्यों द्वारा नामनिर्देशन की प्रणाली अभी तक चल रही है। इसकी जगह पेनल (तालिका) अथवा परमिट (अनुज्ञा) की प्रणाली चलाई जा सकती है। कुछ एक पंजीबद्ध और उत्तरदायी फर्मों को इस बात की अनुमति मिल जानी चाहिए कि वह फैक्टरियों से स्टाक उठा कर अबाध विपणि (मार्किट) में बेच सकें। जब कपड़े की बिक्री पर कोई नियन्त्रण नहीं है तो फिर कुछ एक विशेष फर्मों को ही यह एकाधिकार क्यों दिया जाय। इससे उन्हें ब्लैक मार्किट करने का अवसर प्राप्त होता है।

नमक के विषय में भी यही स्थिति है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार की यह निश्चित नीति थी कि ज़िलावार मनोनीत व्यक्ति की प्रणाली को हटाया जाय परन्तु राज्य सरकारों को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सका। ऐसी चीज़ों के आधार पर ही तो सरकार तथा सत्ताप्राप्त पक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है।

सूत भी नियन्त्रित वस्तु है परन्तु यह नियन्त्रण ठीक प्रकार से नहीं चल सका है जिस के फलस्वरूप खड्डी उद्योग पर संकट आ रहा है। पर्याप्त मात्रा में सूत मार्किट में होते हुए भी इसके मूल्य इतने ऊंचे हैं कि साधारण खड्डी वाले मिल वालों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। माननीय मन्त्री को इस सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा कर देनी चाहिए।

कपास के विषय में इस टिप्पणि में बताया गया है कि इसका मूल्य गिर गया है तथा यह कि इस का कुप्रभाव आगामी वर्ष में कपास के उत्पादन पर पड़ सकता है। यह बुरी बात है और सरकार को इस विषय में पहले से ही पूर्वावधान से काम लेना चाहिये था। यही स्थिति पटसन की है। यदि हम चाहते हैं कि हम कपास, पटसन तथा खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर हों तो हमें इन वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने होंगे जिस से उत्पादन में वृद्धि हो। पाकिस्तान ने ऐसा ही किया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पाकिस्तान ने ऐसा किया है परन्तु उसका परिणाम क्या रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह ठीक है परन्तु वह धर्त्तों के हाथों में खेलते रहे हैं।

श्री नेवटिया (जिला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व) : मैं वर्तमान विधेयक का समर्थन करता हूं। जब हम ने आयोजन को स्वीकार कर लिया है तो यह स्पष्ट ही है कि हम किसी न किसी रूप में नियन्त्रण को भी स्वीकार करते हैं। देखना केवल यह है कि नियन्त्रण से उत्पादन में बाधा न पड़ती हो। इस बात को देखते हुए कि नियन्त्रण रहते हुए हम ने १५ लाख टन चीनी की उत्पत्ति की है और यह कि गत मास कपड़े का उत्पादन ४२ करोड़ २४ लाख गज़ तक जा पहुंचा है हमें मानना होगा कि नियंत्रण नितान्त बुरी चीज़ नहीं है परन्तु हमें यह अवश्य देखना होगा कि व्यापारी अथवा उपभोक्ता को अनुचित कष्ट न हो।

इस समय वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति प्रायः चीनी के स्टाक को

उठाने में असमर्थ पाये जाते हैं और, इसके अतिरिक्त, वह लोग जो सीधे मिल से चीनी प्राप्त करते हैं उसे कम मूल्य पर बेच सकते हैं ।

,दूसरी कठिनाई यह है कि कुछ एक वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों की ओर से समवर्ती नियन्त्रण की व्यवस्था चल रही है। चीनी और गन्ने का उदाहरण लीजिये। चीनी तो संघ सूची में है परन्तु गन्ना समवर्ती सूची में है । ऐसी अवस्था में दोनों में पूर्ण एकसूत्रता का होना आवश्यक है । चीनी का उत्पादन गत वर्ष ११ लाख टन से बढ़ कर १५ लाख टन तक पहुंच गया है । सरकार अपने वचनानुसार इसके नियन्त्रित दरों पर वितरण की व्यवस्था नहीं कर सकी है । इस से कारखानों की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ गड़बड़ हो गई ।

नियन्त्रण के अतिरिक्त देश का ध्यान बचत की ओर दिलाने की भी आवश्यकता है । नियन्त्रण का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । ऐसा जान पड़ता है कि नियन्त्रण हमारे देश की एक स्थायी व्यवस्था बन चुकी है, अतः निकट भविष्य में हम इन्हें हटा नहीं सकेंगे । नियन्त्रण की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता के सम्बन्ध में तो किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है परन्तु इस बात पर सभी एकमत हैं कि नियन्त्रण लाभदायक तभी सिद्ध हो सकता है जबकि इसका प्रवर्त्तन सुचारु रीति से किया जाय । इस विषय में ढिलाई उचित नहीं है ।

यह देख कर दुख होता है कि अभी तक नियन्त्रण का प्रवर्त्तन सन्तोषजनक नहीं रहा है । इस में सम्बद्ध सरकारों का कुछ दोष नहीं है। निचले स्तर के कर्मचारी जिन पर इसके वास्तविक निष्पादन का उत्तरदायित्व होता है जनता और सरकार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं । इसी नियन्त्रण व्यवस्था के फल-स्वरूप एक प्रकार के निरीक्षक-वर्ग की उत्पत्ति हो गई है । यह लोग बड़ी बड़ी आसामियों को तो कुछ भी नहीं कहते और केवल कभी कभी सच्चे होने के लिए किसी छोटे मोटे व्यक्ति को फांस कर उस का चालान कर डालते हैं । ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें न तो सरकार का डर रह गया है और न भगवान का । इसका परिणाम यह होता है कि गरीबों को तो कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती और धनी लोगों को प्रत्येक पदार्थ विपुल मात्रा में प्राप्त रहता है और वह प्रति दिन अधिकाधिक धनी बनते जाते हैं । इन कर्मचारियों को कड़ी ताड़ना की आवश्यकता है ।

जिस अधिनियम का विस्तार वर्तमान विधेयक द्वारा किया जाना अभिप्रेत है उसके कई एक उपबन्ध अत्यधिक कड़े हैं। उदाहरणतः धारा ७ तथा ७ (क) में तीन वर्ष और सात वर्ष के कारावास के अतिरिक्त सम्पत्ति की जब्ति तथा जुर्माने का उपबन्ध भी है । धारा १२ के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही का अधिकार भी दिया गया है । एक उपबन्ध के अनुसार ज़मानत से भी इन्कार हो सकता है । यह बहुत कड़ा उपबन्ध है ।

धारा १३ ख में अभियोगों के शीघ्र-निर्णय का उपबन्ध है । कुछ एक प्रकरणों में कतिपय तथ्यों का प्रमाण-भार अभियुक्त पर डाला गया है । परन्तु इतने कड़े उपबन्धों से क्या लाभ हो सकता है यदि उनका प्रयोग नहीं किया जाता ? अच्छा होता यदि सदन के सम्मुख एक विवरण इस आशय का रखा जाता कि इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कितने तथा किस प्रकार के अभियोग लाए गए, अभियुक्तों की सामाजिक स्थिति क्या थी तथा क्या दंड दिया गया ।

यह एक आधारभूत तथ्य है कि नियन्त्रण पूर्णतः प्रभावी तभी हो सकता है यदि वह

[श्री एम० एल० अग्रवाल]

त्रिपक्षीय हो, अर्थात् उत्पादन, वितरण तथा मूल्यों पर । इस समय देश में उत्पादन पर तो नियन्त्रण न होने के बराबर है । परन्तु वितरण और मूल्यों पर हमारा नियन्त्रण अवश्य है ।

जब कभी हम नियन्त्रण को हटाना अथवा ढीला करना चाहें हमें समय तथा परिस्थितियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये, जिस से उत्पादक तथा उपभोक्ता को लाभ हो न कि सट्टाबाज़ों, चोरबाज़ार वालों और पूंजीपतियों को ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत इतने अधिक आदेश तथा अधिसूचनायें निकल चुकी हैं और निकलती रहती हैं कि वकीलों को भी यह जानना कठिन होता है कि किसी विशेष समय पर विधि की यथार्थ स्थिति क्या है । अतः न्यायालयों, वकीलों, नियन्त्रण से सम्बद्ध अधिकारियों तथा साधारण जनता के लिए अत्यन्त सुविधाजनक होगा यदि सभी आदेशों तथा नियमों का एक पुस्तक के रूप में संग्रह किया जा सके ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि सारभत वस्तुएं सर्वसाधारण को उचित मूल्यों पर प्राप्त होती रहें और हमें देखना यह है कि क्या नियन्त्रण का निष्पादन ठीक ढंग से होता रहा है और क्या इस उद्देश्य की पूर्ति होती रही है । वास्तव में विभिन्न नियन्त्रण अनियमित तथा अवैज्ञानिक रीति से चलाए गए हैं, जिस के फलस्वरूप न तो व्यापार और उद्योग को ही उन से पर्याप्त लाभ हुआ है और न ही उपभोक्ताओं को । जानकार तथा समझदार लोगों का मत प्रायः इसके हटाए जाने के पक्ष में रहा है । इस के अतिरिक्त हमारी सरकार नियन्त्रण के प्रवर्त्तन के लिए समुचित प्रशासीय यन्त्र का निर्माण नहीं कर सकी है । उदाहरणतः कपड़े के नियन्त्रणों के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है परन्तु समय समय पर उद्योग को अवश्य हानि पहुंचती रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगा है ।

मैं इस अधिनियम की अवधि के विस्तार का विरोध तो नहीं करूंगा परन्तु कोई समिति नियुक्त होनी चाहिये जो इन नियन्त्रणों के इस समय तक हुए निष्पादन के सम्बन्ध में जांच कर के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । इसके अतिरिक्त जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने भी कहा है, नियन्त्रण सम्बन्धी सभी आदेशों तथा नियमों को एक सरल संग्रह के रूप में प्रकाशित करना चाहिए ।

सरकार की मूल्य-नीति की ओर भी मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उदाहरणतः कपड़े के मूल्यों के निर्धारण में सरकार ने मिल-मालिकों के साथ समुचित व्यवहार नहीं किया है यद्यपि कई लोगों की धारणा यह पाई जाती है कि यह व्यवहार उदारतापूर्ण रहा है । उद्योग को सदैव यह शिकायत रही है कि तटकर बोर्ड के सूत्र (फार्मूला) का निर्वचन ठीक प्रकार नहीं किया गया है और इससे उद्योगों के प्रति न्याय से काम नहीं लिया गया ।

यदि इन नियन्त्रणों को चालू रखना है तो उद्योग को उचित तथा न्याययुक्त मूल्यों की प्राप्ति होनी आवश्यक है । इससे अन्ततः उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा क्योंकि यदि उद्योग को अधिक लाभ-प्राप्ति होगी तो उसका लगभग ५० प्रतिशत तो केन्द्रीय कोष में ही जाएगा । शेष में से श्रमिकों को अधिलाभांश की प्राप्ति होगी । और कुछ संचिति के रूप में संयंत्र के सुधार आदि के लिए काम आ सकेगा । इसका बहुत कम भाग मालिकों तथा अंशधारियों तक पहुंच सकेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : उपभोक्ताओं के हितों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाएगा ।

श्री जी० डी० सोमानी : वर्तमान अतिन्यून मूल्यों से उपभोक्ताओं को अन्ततः हानि ही होगी क्योंकि उत्पादन घटने से उन्हें बहुत अधिक मूल्य देने पड़ेंगे । इस समय तो यह केवल २ अथवा ५ प्रतिशत की बात है परन्तु दूरदृष्टि से देखा जाए तो इस से उत्पादन बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को लाभ होगा । सरकार को इन विषयों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ।

श्री एस० एस० मोरे : सामान्यतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं यद्यपि एक वकील होने के नाते मुझे भली भांति ज्ञात है कि इसके कई एक नियम अनुचित हैं और न्याय और विधि-शासन के प्रारम्भिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं । मेरे इस समर्थन का कारण यह है कि एक आयोजित अर्थव्यवस्था में जब किसी देश में वस्तुओं का अभाव हो और जब प्राप्य पदार्थों तथा संसाधनों से सभी लोगों की संतुष्टि न हो सकती हो तो नियन्त्रण आवश्यक हो जाते हैं । गत युद्ध के पश्चात् हम एक प्रकार के नियन्त्रण-युग में प्रविष्ट हो गये हैं । परन्तु बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि इस विधि का वास्तविक प्रवर्त्तन किस प्रकार किया जाता है । दुख तो इस बात का है कि जिन लोगों द्वारा इसका व्यवहारिक निष्पादन होना है वह लोग इस का प्रयोग जनता के हितों के अनुकूल नहीं करते । इसे वह जनता पर अत्याचार का साधन मात्र बना लेते हैं। खाद्य नियन्त्रण का उदाहरण लीजिये । छोटे बड़े सभी कृषकों से समाहार होना चाहिए, परन्तु देखा यही जाता है बड़े कृषक तो दे दिला कर बच जाते हैं और छोटे कृषकों से खाद्यान्न का समाहार कड़ाई के साथ होता है ।

इस विषय में मेरा क्रियात्मक सुझाव यह है कि यह समाहार कार्य गांव के अधिकारियों तथा पुलिस द्वारा न करवाया जा कर ग्राम समितियों और पंचायतों द्वारा करवाया जाय । उन लोगों का यह काम होना चाहिये कि वह उन सभी कृषकों की सूची बनायें जो नियमों के अनुसार अंशदान के लिए उत्तरदायी हैं । वह यह भी निर्धारित करें कि किस को क्या देना है और कितनी मात्रा में । ऐसा करने से अन्याय रुक जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का अवसर भी न रहेगा ।

इसके अतिरिक्त मूल्य-नियन्त्रण की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । परिचालित टिप्पणि में हमें बतलाया गया है कि समाहार और वितरण दोनों ही प्रयोजनों के लिए मूल्य नियन्त्रित किए जाते हैं । यह मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और उन के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । परन्तु प्रश्न यह है कि इस क्रिया का निष्पादन किस यन्त्र द्वारा होता है और इन मूल्यों का आधार क्या होता है । ग्रेग्री समिति ने जो १९४३ में नियुक्त हुई थी यह सुझाव दिया था कि मूल्यों के निर्धारण में उत्पादन परिव्यय तथा निर्वाह परिव्यय दोनों को ध्यान में रखना चाहिये और यह कि कृषक को प्रोत्साहन देने के लिए उसे कुछ न कुछ लाभ-पार्श्व अवश्य मिलना चाहिए । फिर १९४६ में कृष्णमाचारी समिति ने यह सुझाव दिया कि एक ऐसा मूल्य निर्धारित होना चाहिए जिस से कृषक को लाभ हो और जिसे उपभोक्ता सह सके । उक्त समिति ने यह भी कहा कि कृषक के लिए थोड़ा बहुत लाभ-पार्श्व रहना चाहिए । परन्तु इन सुझावों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया ।

उपभोक्ता प्रायः नगरों के रहने वाले हैं और वह सरकार पर प्रभाव और दबाव डालने की कम क्षमता रखते हैं । यदि उन्हें

[श्री एस० एस० मोरे]

मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता तो वह सरकार की आलोचना करने लगते हैं, परन्तु बिचारा कृषक यह नहीं कर सकता। परिणाम यह होता है कि उसके हितों की प्रायः उपेक्षा की जाती है। यदि गहरा विचार किया जाय तो यह नीति देश के हितों के लिए अन्ततः घातक सिद्ध होती है।

१९५१ में नियुक्त हुई गुप्ते समिति ने अपना निष्कर्ष इस प्रकार दिया है कि मूल्य-निर्धारण की नीति तथा अतिन्यून मूल्यों के फलस्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन घट गया है।

एक अन्य समिति—अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति—भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए समचित मूल्य निर्धारित होने आवश्यक हैं।

आप को जब कभी अन्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने होते हैं तो आप उत्पादकों के हितों पर भी विचार करते हैं, उन्हें निमंत्रित करते हैं तथा उन से उत्पादन-परिव्यय के सम्बन्ध में सामग्री प्राप्त करते हैं। परन्तु जब कभी आप को खाद्यान्न अथवा कृषकों द्वारा उत्पादित अन्य पदार्थों के मूल्य निर्धारित करने होते हैं तो आप उन लोगों से कोई परामर्श नहीं लेते। सरकार को एक स्थायी निकाय का निर्माण करना चाहिये जो उत्पादन-परिव्यय के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एकत्रित कर सके। दुर्भाग्यवश हमारे कृषकों में से ९९ प्रति शत अपढ़ होने के कारण हिसाब किताब रखने के योग्य नहीं हैं। कहा जा सकता है कि हमारे राजस्व अधिकारी यह सामग्री एकत्रित कर सकते हैं परन्तु यह लोग विश्वास के पात्र नहीं हैं। यह ठीक है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए परन्तु यदि उत्पादक पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकता है तो अन्ततः उपभोक्ता को भी हानि पहुंच सकती है।

हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, परन्तु उस के लिए कुछ विशेष आधार होना चाहिए। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वयस्क १२ औंस प्रति दिन के हिसाब से राशन मिलता है परन्तु यह बहुत कम है क्योंकि हमारे कृषक को प्रति दिन कम से कम २४ औंस राशन मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को कुछ अधिक नहीं मिलता ?

श्री एस० एस० मोरे : ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, केवल नागरिक क्षेत्रों में ही।

समाहार के समय कृषक को लूट लिया जाता है और जब वह चिल्लाता है तो उसे राशन-कार्ड दिलवा दिया जाता है। सरकार जो खाद्यान्न उस से २३ रु० २ आने प्रति बोरी की दर से खरीदती है वही उसे दोबारा ४० रु० प्रति बोरी की दर से लेना पड़ता है। यह कुछ न्यायसंगत नहीं है। और फिर राशन लेने के लिए उसे कई बार दूर चल कर जाना पड़ता है और यदि माल न हो तो निराश लौटना होता है।

यदि मान लिया जाय कि सरकार कृषकों का हित ही चाहती है तो भी यह एक सत्य है कि जब यही उपबन्ध निचले कर्मचारियों के हाथों में जाते हैं तो अत्याचार का साधन मात्र बन जाते हैं। उधर चीनी और कपड़े के उत्पादकों के साथ अपेक्षाकृत बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। चीनी के मूल्य थोड़े ही समय में अत्यधिक बढ़ गये हैं। वह लोग चोरबाजारी कर के अतिलाभ की प्राप्ति कर रहे हैं परन्तु कृषकों की दुर्दशा हो रही है।

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : इस विधेयक का उद्देश्य १९४६ के अधिनियम का २५ जनवरी, १९५५, तक विस्तार करना है। इसके द्वारा सरकार खाद्यान्न, पशुओं के चारे, लोहे, इस्पात इत्यादि वस्तुओं के सम्बन्ध में

नियन्त्रण कर सकेगी। यदि इस नियन्त्रण-नीति का प्रवर्त्तन जनता के हितार्थ हो सके तो इस से जनता को असीम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करना प्रत्येक जन-तन्त्रीय सरकार का कर्त्तव्य है। परन्तु हम यदि सरकार की वर्तमान नीति तथा व्यवहार का अवलोकन करें तो हमें पता चलता है कि जिस प्रयोजन से मूल अधिनियम की रचना की गई थी उस की पूर्ति नहीं हो सकी है। इसके वास्तविक निष्पादन से सरकार की यथार्थ नीति का ठीक ज्ञान नहीं होता है। भिन्न अवसरों पर परस्पर-विरोधी वक्तव्य दिये गये हैं जिस से कहना पड़ता है कि यह नियन्त्रण-नीति अविश्वसनीय, असंगत और अनिश्चित प्रकार की है। कभी तो हमें बताया जाता है कि सरकार की नीति क्रमशः विनि-यन्त्रण करने की है और कभी कहा जाता है कि सरकार का ऐसा विचार अभी नहीं है। माननीय खाद्य मन्त्री विभिन्न राज्यों का भ्रमणें करते फिर रहे हैं और निरन्तर प्रचार कर रहे हैं कि कम से कम खाद्यान्न का तो विनियन्त्रण होना ही चाहिये।

विस्तार की अवधि के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से हमें यह देखने का अवसर मिल सकेगा कि इसकी क्रियान्विति किस प्रकार से हो रही है और हम इस में यथावश्यक सुधार कर सकेंगे। हमें यह प्रत्याशा थी कि माननीय मन्त्री सदन के सम्मुख इस विधि के सम्बन्ध में गत पांच वर्षों का सिंहावलोकन रखेंगे, अर्थात् किस प्रकार इसका निष्पादन हुआ और क्या क्या गुणावगुण इस में पाए गए। यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि गत पांच वर्षों में इस से केवल कुछ एक अतिलाभ लेने वालों और भूस्वामियों की ही हितसिद्धि हुई है। यद्यपि इसका उद्देश्य सर्वसाधारण का संकट-निवारण था तथापि जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है वह इतने ऊंचे रखे गये हैं कि एक साधारण व्यक्ति आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति करने में भी असमर्थ है। क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि मूल्यों का निर्धारण किस सिद्धान्त के अन्तर्गत किया जाता है? क्या उत्पादन स्तर और निर्वाह-परिव्यय के सम्बन्ध में भी विचार किया जाता है? परिणामों को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सरकार का मूल सिद्धान्त मिल मालिकों तथा मुनाफाखोरों को अत्यधिक लाभ दिलवाना है।

गन्ने और गुड़ के सम्बन्ध में नियन्त्रण आदेश १९५० में सारभूत प्रदाय अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया था। कुछ समय हुआ भारत सरकार ने उत्पादक द्वारा मिल मालिक को सम्भरित गन्ने के मूल्य के शोधन के सम्बन्ध में एक आदेश निकाला गया। इस आदेश ने गन्ने के उत्पादकों को अत्यन्त हानि पहुंचाई है। इस से तो वह लोग मानो पूर्णतः उनके अधीनस्थ हो गए हैं। इस आदेश के अनुसार मिल मालिक उत्पादक को उस के गन्ने का मूल्य दो किस्तों में दे सकता है और दूसरी किस्त के शोधन के लिए अन्तिम तिथि ३१ अक्तूबर रखी गई है। इस आदेश के फलस्वरूप बिचारे कृषक को शोधन के लिए कई कई महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उन्हें साहूकार का ऋण देना होता है, भूस्वामी को उसका अंश देना होता है, खाद का मूल्य चुकाना होता है। यह आदेश तुरन्त समाप्त होना चाहिये और उसके स्थान पर ऐसा आदेश निकाला जाना चाहिये जिस से कृषक को उस के गन्ने के लिए साप्ताहिक शोधन हो सके। अन्यथा वह आगामी फसल का प्रबन्ध नहीं कर सकेगा।

मूल्यों के विषय में माननीय मन्त्री ने एक और अवसर पर कहा था कि भारतीय चीनी का मूल्य संसार के सामान्य मूल्य से १५ पौंड

[श्री गोपाल राव]

प्रति टन अधिक है । इसका कारण उन्होंने यह बतलाया था कि हम अपने गन्ना-उत्पादक को अपेक्षाकृत बहुत अधिक मूल्य दे रहे हैं । एक प्रकार का निरन्तर प्रयत्न इस बात के लिए हो रहा है कि उपभोक्ता को उत्पादक के विरुद्ध भड़काया जाय और इस विधि से वास्तविक मुनाफ़ाखोर, अर्थात् मिल-मालिक को बचाया जाय । यह सत्य है कि भारत में चीनी अत्यधिक महंगी है परन्तु इस का कारण गन्ने का मूल्य नहीं वरन् मिल-मालिकों का अत्यधिक मुनाफा है । इस अतिलाभ पर नियन्त्रण होना चाहिये ।

हमारी नियन्त्रण नीति के क्रियात्मक निष्पादन के सम्बन्ध में बड़े खेद से कहना पड़ता है कि वास्तविक दोषियों अर्थात् चोर-बाजार वालों को तो दण्ड नहीं मिला अपितु संसार की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ एक गरीब लोग अवश्य पकड़े जाते रहे हैं । यदि विनियन्त्रण सम्बन्धी नीति का निष्पादन ठीक रीति से किया जाय तो वह जनता के लिए अत्यन्त लाभदायक हो सकता है परन्तु वर्तमान वस्तुस्थिति को देखते हुए तो लोग नियन्त्रण के सिद्धान्त के ही विरुद्ध हो रहे हैं । इसका मुख्य कारण तो निस्सन्देह भ्रष्टाचार है तथा वह अन्य कार्यवाहियां हैं जो नियन्त्रण की अभिपूर्ति के समय होती रही हैं । कई लोग यह कहते फिर रहे हैं कि मद्रास में विनियन्त्रण का प्रयोग पूर्णतः सफल सिद्ध हो रहा है । परन्तु यदि वहां के बड़े बड़े समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेखों और अन्य टिप्पणियों को देखा जाय तो पता चलता है कि गत चार सप्ताहों में उक्त राज्य के सभी स्थानों में मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं । स्थिति ऐसी हो रही है कि केवल भूस्वामी, मिल-मालिक और व्यापारी लोग ही खाद्यान्न संग्रह कर सकते हैं । धान की एक बोरी का मूल्य जो विनियन्त्रण से पूर्व १८ रु० १२ आने था अब ३० रु० हो गया है ।

समाहार की सामान्य नीति इस प्रकार है कि साधारण कृषकों से तो बलपूर्वक धान छीना जा रहा है और बड़े बड़े भूस्वामियों से केवल नाममात्र समाहार ही किया जा रहा है । उन के अधिकांश स्कन्धों को हाथ तक भी नहीं लगाया जाता । इसी कारण से इतनी दुखद घटनायें घट रही हैं ।

पंडित अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम): मद्रास से आज एक समाचार आया है कि वहां की सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये गेहूं के भारी स्कन्ध लौटा रही है । इसका क्या कारण है ?

श्री गोपाल राव : यदि मद्रास सरकार ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करती है तो इस में कोई क्या कर सकता है ?

रूई के नियन्त्रण के सम्बन्ध में मूल्य-निर्धारण मिल-मालिकों की सुविधानुसार किया जाता है । उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा श्रमिक वर्गों से परामर्श नहीं लिया जाता । अभी कुछ दिन हुए माननीय मन्त्री बतला रहे थे कि मोटे तथा माध्यमिक प्रकार के कपड़े का उत्पादन सन्तोषजनक नहीं है । और इसी प्रकार के कपड़े की साधारण जनता को आवश्यकता रहती है । प्रायः यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे कपड़े का निर्यात रोक दिया जाय परन्तु हमें जो रिपोर्ट सम्बद्ध मन्त्रालय से प्राप्त हुई है उस में लिखा है कि ३ अगस्त, १९५२, तक मोटे तथा माध्यमिक प्रकार के कपड़े के अबाध निर्यात की अनुमति दे दी गई है । एक ओर कुछ बतलाया जा रहा है और दूसरी ओर कुछ किया जा रहा है । मिल मालिकों को कपड़े के विक्रय के सम्बन्ध में बहुत खुले अधिकार मिल रहे हैं ।

कृषि सम्बन्धी उपकरण के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि उनकी कमी नहीं है । परन्तु कोई लेने वाला नहीं है । इसका उपाय

यह हो सकता है कि उनके मूल्य घटाए जाएं, वितरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार की रोकथाम की जाए, कृषकों तथा कृषि सम्बन्धी श्रमिकों को किस्तों पर माल दिया जाय, तथा पूर्व योजना के अनुसार माडल तय्यार करवाए जाएं ।

नियन्त्रण की नीति को सफल बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रशासनीय व्यवस्था का सुधार और भ्रष्टाचार का अन्त करना होगा । इस बात को माननीय मन्त्री ने केवल यह कह कर टाल दिया है कि कर्मचारी वर्ग भी समाज का एक अंग है अत: उनका नैतिक स्तर समाज के नैतिक स्तर के समान ही है । परन्तु इतना कह देने से छुटकारा नहीं हो सकता । आसंचय करने वालों तथा अतिलाभ उठाने वालों के साथ कड़ी कार्यवाही की जाय । जनता की समितियां बनाई जाएं और प्रत्येक विषय में उनका सहयोग प्राप्त किया जाय । इस विधेयक का विस्तार केवल एक वर्ष के लिए किया जाय । मूल्यों को कम किया जा कर जनता की क्रय-सामर्थ्य के अनुकूल बनाया जाय । मूल्य निर्धारण के समय उत्पादकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं का परामर्श लिया जाय । जनता को अधिक उत्पादन की प्रेरणा की जाय । माननीय मन्त्री को इन सुझावों पर उचित विचार करना चाहिये और उन्हें क्रियात्मक रूप देना चाहिए ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): किसी भी आयोजित अर्थव्यवस्था के लिए नियन्त्रण का होना अत्यावश्यक है । परन्तु हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने चाहियें । हमारा उद्देश्य एक वर्गहीन, जातिहीन समाज का निर्माण करना है । नियन्त्रणों को क्रियान्वित करते समय हमें उक्त उद्देश्य को सदैव अपने सम्मुख रखना चाहिए ।

इन नियन्त्रणों के फलस्वरूप मिलों में धांधली चल रही है । न्यूनतम मूल्य के निर्धारण में सभी प्रकार के खर्चे मिल के खर्चे में सम्मिलित कर लिए जाते हैं । प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के घर के नौकरों तक के वेतन मिल में से दिए जाते हैं । और यदि उन से पूछा जाय तो वह कहते हैं कि बम्बई और अहमदाबाद की दशा इस से भी अधिक खराब है ।

नियन्त्रणों से पहले कई एक मिलें तो बन्द होने वाली थीं परन्तु नियन्त्रण ने उन्हें बचा लिया और नया जीवन दे दिया । मूल्य जो गिरते जा रहे थे स्थिर हो गए । श्री सोमानी क्या जाने किस आधार पर यह कहते हैं कि मूल्य-निर्धारण में मिलों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया क्योंकि सत्य तो यह है कि यह मूल्य इतने अधिक ऊंचे रखे गए हैं कि इस से उन लोगों का नैतिक पतन हो गया है । मुल्य-निर्धारण संस्पर्धा के आधार पर होना चाहिए ।

हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि कुटीर उद्योगों तथा छोटे अनुमाप के उद्योगों को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाय । इस देश का सब से अधिक महत्वपूर्ण छोटा उद्योग हथ-कर्घा उद्योग है । देश भर में कुल ३० लाख हथ-कर्घे हैं । नियन्त्रण से इन लोगों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी है क्योंकि कभी तो इन्हें सूत ही नहीं मिलता है और यदि सूत मिलता है तो माल नहीं बिकता । लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्ति इस व्यवसाय में लगे हुए हैं । कपड़े का मूल्य निर्धारित करते समय हमें न केवल उपभोक्ता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए अपितु हथकर्घा बुनकरों के दृष्टिकोण पर भी विचार करना चाहिये ।

देश के जीवन-स्तर को ऊंचा करने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अधिकतम आय और न्यूनतम आय में अत्यधिक अन्तर नहीं होना चाहिए । साधारण सूती कपड़े से सन्तुष्ट न हो कर हम मिलों से अत्युत्तम प्रकार के कपड़े के उत्पादन की प्रत्याशा करते हैं । जिस देश का आय-स्तर इतना न्यून हो उसे अमेरिका के समान ऊंचे प्रमापों की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करना

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

चाहिए । पिछले वर्ष १३१.१५ करोड़ रुपये की रुई विदेश से आयात हुई बताई जाती है । हमें यह रुपया बचाना चाहिये ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : रुई का यह अत्यधिक आयात विभाजन उपरान्त परिस्थितियों के कारण हुआ है । हमारी ई के गुण-प्रकार को सुधारने के लिये प्रयत्न हो रहे हैं और निकट भविष्य में इसके आयात को बहुत कुछ कम किया जा सकेगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : नियन्त्रण की सफलता के लिए जनता का सहयोग सरकार को अवश्य प्राप्त रहना चाहिये । इसके लिये यथोचित प्रचार की भी आवश्यकता है । केवल दण्ड का भय काम नहीं करेगा । सरकार तथा जनता के बीच एक प्रकार का सहभाव होना चाहिये । केवल उन्हीं चीजों पर नियन्त्रण होना चाहिये जिन के लिये जनता अपना सहयोग देने के लिये तत्पर हो । रेशम जैसी वस्तु पर जिसका उपभोग केवल विशेष वर्गों द्वारा ही होता है किसी नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं है और ऐसे ही चीनी और लवण जैसे पदार्थों पर भी नियन्त्रण अनावश्यक है जबकि वह पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं ।

हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि थोड़े से लोगों के हाथों में अत्यधिक धन का संग्रह नहीं होना चाहिए । दुर्भाग्यवश कपड़े के नियन्त्रण की दुर्व्यवस्था के फलस्वरूप कई एक लोग इस उद्योग के सम्बन्ध में कुछ भी न जानते हुए भी लखपती बन गए हैं—केवल परमिटों की कृपा से । इस प्रकार का भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । कई वक्ताओं ने कहा है कि नियन्त्रणों का निष्पादन उचित ढंग से नहीं हो रहा है । परन्तु इसका यह अभिप्राय कभी नहीं हो सकता कि नियन्त्रण को हटा दिया जाय । आज हमारे देश में कितनी ही आवश्यक वस्तुओं का अभाव है । इस अभाव से सब से अधिक कष्ट गरीब लोगों को होता है । ऐसी अवस्था में सरकार का कर्त्तव्य होता है कि उन वस्तुओं का वितरण अपने नियन्त्रण में ले कर ऐसी व्यवस्था कर दे जिस से वह जनसाधारण को समुचित मूल्यों पर प्राप्त हो सकें ।

आज इन नियन्त्रणों को आरम्भ हुए छः वर्ष हो रहे हैं । इस समय में विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों का विकास हुआ है । एक प्रकार की विचित्र पद्धति का निर्माण हो गया है जो प्रशंसा के योग्य है ।

इस विधेयक द्वारा हमारा अभिप्राय सरकार को चले आ रहे नियन्त्रणों को बनाए रखने का अधिकार देना है । हां, आवश्यकता होने पर नये नियन्त्रण भी लागू किये जा सकते हैं । कोई सरकार भी खुशी से यह काम करना नहीं चाहती क्योंकि इस से उनका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है ।

विधेयक की कालावधि के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है कि दो वर्ष की अवधि अत्यधिक है, एक वर्ष होनी चाहिए । परन्तु अभी जल्दी इन नियन्त्रणों के हट सकने की कोई आशा दिखाई नहीं देती, अतः अगले वर्ष यदि फिर सदन को इसी विषय पर विचार करना पड़ा तो व्यर्थ समय नष्ट होगा । इस लिए दो वर्ष की अवधि तो हीनी ही चाहिये ।

प्रश्न यह नहीं है कि इस विधेयक की कालावधि एक वर्ष होनी चाहिये अथवा दो वर्ष अपितु प्रश्न तो यह है कि २५ जनवरी, १९५५, के पश्चात् क्या होगा । हमें चिन्ता इस बात की होनी चाहिए कि यह जो नियन्त्रणों की इतनी सुन्दर पद्धति इतने वर्षों में विकसित हो सकी है इसे किस विधि से सुरक्षित

रखा जा सके जिस से आवश्यकता होने इसका सदुपयोग ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में किया जा सके जो १९५५ के पश्चात भी सुविधा से प्राप्त न हो सकती हों । कुछ सीमा तक तो इस आशय की पूर्ति उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत भी हो सकती है । परन्तु वह उन सभी वस्तुओं को लागू नहीं होता जो विचाराधीन अधिनियम में उल्लिखित हैं, जैसे खाद्यान्न, चारा, कपास, बिनौला, अभ्रक आदि । संविधान के अनुच्छेद २४९ के अन्तर्गत भी कार्यवाही हो सकती है परन्तु वह कुछ अधिक सुविधाजनक नहीं होगी ।

अन्त में मैं श्री तुलसी दास किलाचन्द और श्री जी० डी० सोमानी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि एक समिति की नियुक्ति की जाय क्योंकि भिन्न प्रकार की अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं जिस से स्थिति कुछ ठीक स्पष्ट नहीं है ।

श्रीमति रेणुचक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्त से तो पूर्णतः सहमत हूं परन्तु नियन्त्रण की क्रियान्विति की वर्तमान पद्धति सर्वथा दूषित है । तथापि हम यह मानते हैं कि किसी न किसी रूप में नियन्त्रण अवश्य होना चाहिये । परन्तु यह नियन्त्रण उचित रीति से लागू होने चाहिये । हम देख रहे हैं कि नियन्त्रण होते हुए मूल्य बढ़ गए हैं और चोर बाजारी का बोल बाला हो रहा है । उत्पादन भी कम हो गया है । अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है । जनता के संकट दिन प्रति दिन बढ़ते ही जा रहे हैं ।

खंड ३ (३) के अन्तर्गत इन आदेशों का प्रवर्त्तन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा होना है, परन्तु उन लोगों में अत्यधिक भ्रष्टाचार चल रहा है । खाद्यान्न के समाहार को ही लीजिये । यद्यपि मेरे प्रान्त में १५ बीघे से कम भूमि रखने वाले व्यक्ति से समाहार नहीं होना चाहिए वस्तुस्थिति यह है कि दो या तीन बीघे से कम भूमि वालों से भी बलपूर्वक समाहार किया जाता है । फिर उन्हें धान का मूल्य नहीं दिया जाता और पीटा भी जाता है । मूल्य-निर्धारण की नीति ऐसी है जिस के फलस्वरूप उत्पादक को तो कम मिलता है और उपभोक्ता को अधिक देना पड़ता है । इन दोनों मूल्यों के बीच छः, सात रुपये का अन्तर क्यों रहता है इस विषय में जांच किये जाने की आवश्यकता है ।

बंजर भूमि के विषय में एक उपबन्ध मौजूद है कि खाद्यान्न की फसल उगाने के लिए ऐसी भूमि का अधिग्रहण हो सकता है परन्तु हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने का साहस करता है तो उसे दण्ड दिया जाता है । एक अन्य उपबन्ध के अनुसार सारभूत वस्तुओं के स्कन्धों का अधिग्रहण किया जा सकता है और उन्हें किन्हीं अन्य व्यक्तियों अथवा वर्गों के हाथ बेचा जा सकता है परन्तु इस शक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया जाता । सुन्दरवन के अकाल पीड़ित क्षेत्र में हमने पुनर्वास मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री दोनों को यह बतलाया कि हम आप को ऐसे लोगों की सूची दे सकते हैं जिन्होंने हजारों मन चावल छुपा रखा हुआ है परन्तु बंगाल के मन्त्री ने यह कह कर टाल दिया कि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिस से हम ऐसे चावल का समाहार कर सकें ।

यदि हम कोई विधान बनाते हैं तो हम उस की अभिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं । उनकी अभिपूर्ति जनता के सहयोग से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । किसी विधेयक को पारित कर देना व्यर्थ है यदि हम उसकी अभिपूर्ति नहीं कर सकते ।

इसकी कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । एक वर्ष के पश्चात् हमें इस पर विस्तारपूर्वक पुनर्विचार करने का अवसर मिलना चाहिए ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सन्तोषजनक है कि सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९४६, के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को सदन का सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है । मतभेद केवल इस विषय पर जान पड़ता है कि यह विस्तार कितने काल के लिए हो । हम ने यह विस्तार २६ जनवरी, १९५५ तक के लिए मांगा है जोकि संविधान के अन्तर्गत निर्धारित परिसीमा के अनुकूल है । कुछ एक माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किया है कि इसका विस्तार केवल एक वर्ष के लिए होना चाहिए, परन्तु जान पड़ता है कि उन्होंने इस विषय पर मेरी ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क पर विचार नहीं किया है ।

यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि सरकार को पहले सदन के सम्मुख एक वर्ष की कार्यान्विति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए परन्तु यह किसी ने भी नहीं कहा कि अगले वर्ष के लिए विस्तार नहीं हो सकेगा । परन्तु यह रिपोर्ट तो हर समय मांगी जा सकती है और दी भी जा सकती है । इसके लिए तो बहुतेरे अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त रहेंगे । अतः सदन को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए कि इस विधि को २६ जनवरी, १९५५, तक और बढ़ा दिया जाय ।

एक माननीय सदस्य, श्री गांधी (बम्बई) ने यह प्रश्न उठाया है कि १९५५ के पश्चात् क्या होगा । यह कोई कठिन प्रश्न नहीं है । कारखानों में बनाई जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ऐसा विधान सदन के सम्मुख ला सकती है जिस के अन्तर्गत उत्पादन वितरण और मूल्यों पर नियन्त्रण किया जा सके । वर्तमान अधिनियम में इसके लिए उपबन्ध मौजूद हैं । सप्तम अनुसूची, प्रथम सूची में उस विधायिनी शक्ति के लिए आवश्यक अधिकार का उपबन्ध है जिसके द्वारा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा मूल्यों के सम्बन्ध में विनियमन हो सकता है जिन का निर्माण केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण में लाया जाना आवश्यक समझा जाय ।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि विभिन्न विनियमनों का एक समिति द्वारा निरीक्षण करवाया जाय । मैं श्री तुलसीदास किलाचन्द और श्री गांधी के इस सुझाव के महत्व को मानता हूं और मैं अन्य मन्त्रालयों के अपने सहयोगियों का ध्यान भी इस की ओर दिलवाने का प्रयत्न करूंगा । इस विषय में प्रयास किया जाएगा कि इन विनियमों का निरीक्षण किया जाए और सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों और अधिसूचनाओं का समुचित संग्रह किया जाय । जहां तक मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध है हमारे पास न केवल यह हस्तपुस्तिका है वरन् दो अनुपूरक (सपलीमेंट) भी हैं । अतः मैं यह मानता हूं कि यदि माननीय सदस्य इन विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं का अध्ययन करना चाहें तो उन्हें बहुत कुछ परिश्रम करना होगा । खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से जारी होने वाले विनियम आदि इसके अतिरिक्त हैं । एक सुझाव मिला है कि राज्यों द्वारा निर्गमित आदेशों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये । मैं नहीं जानता यदि हम ऐसा करने की क्षमता रखते हैं परन्तु हम राज्य सरकारों को यह सुझाव अवश्य दे सकते हैं कि वह भी हमारा अनुकरण करते हुए ऐसी सभी सामग्री की छान बीन करवाने के पश्चात् उसका एक पुस्तक के रूप में संग्रह करवाएं, जो लोगों को प्राप्य हों । इसके साथ ही यदि चाहें तो वह इन आदेशों, अधिसूचनाओं आदि की कार्यान्विति के विषय में भी जांच पड़ताल कर सकते हैं । बहुत से सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किये हैं । मेरे माननीय मित्र श्री गुहा जो सदैव बड़े क्रियात्मक सुझाव देते रहते हैं पूछते हैं कि क्या हम यह आश्वासन दिला सकते हैं कि राज्य सरकारें नियन्त्रणों के चलाने में सहयोग दे

रही हैं। यह आश्वासन मैं तुरन्त दे सकता हूं। मैं नहीं समझता कि कोई भी राज्य सरकार इस विचार के विरुद्ध है या यह कि कोई राज्य सरकार, सरकार के रूप में, इन नियन्त्रणों के प्रवर्त्तन के प्रति विद्रोह का भाव प्रकट कर रही है। केवल किसी राज्य सरकार के किसी विशेष अंग द्वारा इस प्रकार का विरोध प्रदर्शित होने से माननीय सदस्यों को यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि वह सरकार ही नियन्त्रण के विरुद्ध है। कभी किसी सरकार ने हमें यह नहीं कहा कि वह इस विषय में हमें योग नहीं देंगे। यह धारणा ही अयथार्थ है क्योंकि सभी राज्य सरकारें इस विशेष अधिनियम के उपबन्धों के निष्पादन में यथा सामर्थ्य योग दे रही हैं। मेरे माननीय मित्र श्री गुहा ने अखबारी कागज़ के विषय में मेरी ओर से दूसरे सदन में कहे गए कुछ एक शब्दों का उद्धरण किया है। स्पष्ट है कि मैंने यह कहा था कि यह एक इस प्रकार का नियन्त्रण है जिसका लागू रहना मुझे अवांछनीय जान पड़ता है अतः मैं इस विषय पर सरकार द्वारा पुनर्विलोकन करवाने का प्रयत्न करूंगा। जब मैं ने यह कहा था कि समाचार पत्र आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं तो मेरा अभिप्राय यह था कि वह उन के शब्दों का नहीं वरण भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। यह आदेश 'समाचारपत्र समाज' के सुझाव पर निकाला गया था अतः उन से यह आशा की जा सकती थी कि वह इसका अच्छे ढंग से पालन करेंगे। परन्तु स्पष्टतया उन्होंने ऐसा नहीं किया है और इस लिए मैंने कहा था कि इस से किसी को कुछ लाभ नहीं हो रहा है। परन्तु मेरे माननीय मित्र ने छोटे समाचार पत्रों की सहायता करने की बात जो कही है, वह मेरे विचार से, सरकार के कार्य-क्षेत्र से दूर की बात है। सरकार यह तो कर सकती है कि छपे पृष्ठों पर उपकर लगा दे और छोटे समाचार पत्रों को राजकीय सहायता प्रदान करे। परन्तु बड़े समाचार पत्रों पर यह प्रतिबन्ध आरोपित करना कि एक विशेष संख्या से अधिक पृष्ठ न छापे जायें उचित नहीं होगा। हमें स्तरों को ऊंचा ले जाना है, नीचा नहीं लाना। मूल्य का प्रश्न निस्सन्देह छोटे समाचार-पत्रों के लिए विशेष महत्व का प्रश्न है। मेरा व्यक्तिगत मत तो यह है कि सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रही यह बात कि मैं कब इस विषय में पग उठाने का विचार रखता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विषय में केवल यह प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब समाचार पत्र इस के लिए आग्रह करते हैं।

श्री गुहा ने कोयले की बात कही है। उन्होंने वर्तमान प्रबन्ध प्रणाली पर आपत्ति की है। यद्यपि यथार्थ रूप में यह मेरा विषय नहीं है तथापि मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि वह अधिकारी जिस के सम्बन्ध में उन्होंने आपत्ति की है अब वहां नहीं रहेगा। अतः आशा है कि इस परिवर्तन से स्थिति सुधर सकेगी।

कपड़े का भी कई एक सदस्यों ने उल्लेख किया है। श्री गुहा ने कहा है कि राज्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति नहीं रहने चाहियें। मैं उन से सहमत हूं। कई एक ऐसे लोग हमारे साथ विश्वास-घात कर जाते हैं। यदि बाजार ठीक हो और माल बिक सकता हो तो वह उठा लेते हैं, और यदि परिस्थिति इसके विपरीत हो तो छोड़ देते हैं। इसके लिये हम यही कर सकते हैं कि केवल २० प्रतिशत माल राज्यों के लिये आरक्षित किया जाय। कई बार वह यह भी नहीं लेते परन्तु यह प्रतिशतक तो संचिति के रूप में रहना ही चाहिये।

हथ-करघों के लिये सूत का प्रश्न भी उठाया गया है। श्री मोरे कहते हैं कि उत्पादन के सम्बन्ध में आर्थिक परिव्यय को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये जिस से प्राथमिक उत्पादक को उचित पारिश्रमिक मिल

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सके । मूल रूप में यह प्रस्थापना यथार्थ है । हमारा यही प्रयत्न रहता है कि उत्पादक को आर्थिक मूल्य दिया जाय ।

उनकी दूसरी प्रस्थापना यह है कि उपभोक्ता को भी वस्तुओं की प्राप्ति आर्थिक मूल्य पर होनी चाहिये । उपभोक्ता का दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परन्तु उसके पास इनको खरीदने के लिये धन भी तो होना चाहिये । जैसे जैसे परिव्यय बढ़ता है ह्रासी प्रत्याय नियम लागू होने लगता है और वह खरीद नहीं सकता । जब मिल-मालिक अपना माल बेच नहीं सकता तो वह कच्चे माल को खरीदना बन्द कर देता है, और अन्ततः उत्पादक को ठीक मूल्य की प्राप्ति नहीं होती । यह दोनों ओर चलता है । ऐसे विषयों में अनुभव के प्रतिकूल धारणा नहीं होनी चाहिये । कपास के उत्पादक को यूं तो किसी भी समय जरिल्ला का न्यनतम मूल्य ६०० रुपये दिया जा सकता है । इसका अर्थ यह है कि सूत का मूल्य बढ़ाना होगा और कपड़े का भी और इसका परिणाम यह होगा कि उपभोक्ता उस मूल्य पर माल खरीद नहीं सकेगा । और जब उपभोक्ता नहीं खरीदेगा तो मिल-मालिक और प्राथमिक उत्पादक दोनों को हानि होगी । श्री मोरे का यह कहना है कि हमें अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ को ध्यान में रखना चाहिये, यथार्थ है । यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो मैं जो कुछ कर रहा हूं वह ठीक ही है । मैं उपभोक्ता की भलाई के लिये प्रयत्न कर रहा हूं और वह इस लिये कि मैं जानता हूं कि इस से अन्ततः प्राथमिक उत्पादक ही की हितसिद्धि होगी । यदि मैं मूल्य को थोड़ा सा कम करता हूं तो यह अत्यावश्यक है क्योंकि अन्यथा उपभोक्ता उत्पादित माल का उपभोग नहीं करेगा । मुझे हर समय इन दोनों पक्षों का ध्यान रहता है । यही कारण है कि कुछ समय हुआ बड़ी अनिच्छा के साथ हम ने रुई के न्यूनतम मूल्य को बढ़ा कर ४९५ रु० से ५५० रु० कर दिया था । मैं जानता हूं कि जरिल्ला रुई का मूल्य ५५० रुपये रहते हुये कपड़े का मूल्य घटाने के सम्बन्ध नें मेरी सामर्थ्य केवल १२ से १५ प्रति शत तक रह जाती है । केवल एक सूरत रह जाती है और वह यह है कि मिल को आधुनिक ढंग पर चलाया जाय और इस प्रकार श्रम-परिव्यय की बचत की जाय । परन्तु यह भी एक ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती । मुझे कितने ही विषयों के सम्बन्ध में चिन्ता करनी पड़ती है । मैं मिलों को आत्मग (आटोमेटिक) करघों के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकता—इस लिये नहीं कि विदेशी उपकरण पर इतना खर्च करना होगा वरन् इस लिये कि इतने मजदूरों का धन्धा छिन जायगा । मेरे इंकार पर टेक्सटाइल मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों ने यह कह कर त्यागपत्र दे दिये कि सरकार को उन से सहानुभूति नहीं है । मुझे टेक्सटाइल बोर्ड और उसके सदस्यों से सहानुभूति नहीं है परन्तु मुझे श्रमिकों से अवश्य सहानुभूति है । श्री सोमानी चाहते हैं कि कपड़े का मूल्य बढ़ाया जाय । परन्तु उनके अपने ही हित को देखते हुये मैं उनके इस आग्रह को अस्वीकार कर रहा हूं क्यों कि यदि मैं उन्हें अधिक मूल्य दिये देता हूं तो उपभोक्ता खरीदेगा नहीं और अन्ततः श्री सोमानी को ही इस से हानि होगी, सम्पूर्ण श्रृंखला को हानि होगी। मैं प्राथमिक उत्पादक का हितैषी हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि मिल उद्योग चलता रहे । मैं वहां काम करने वाले श्रमिक का भी हित चाहता हूं और फुटकर व्यापारी का भी । और अन्ततः मुझे उपभोक्ता के हित का ध्यान रहता है । मैं सर्वप्रथम उपभोक्ता का हित चाहता हूं, उसके पश्चात् प्राथमिक उत्पादक का, परन्तु मुझे एक

प्रकार का समायोजन करना पड़ता है। मुझ में और श्री मोरे में केवल इतना मतभेद है कि वह एक चीज़ पर अधिक बल दे रहे हैं और मैं अन्य पर।

श्री एस० एस० मोरे : यह बहुत बड़ा मतभेद है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र श्री गुहा ने फिर से कच्चे पटसन का प्रश्न उठाया है। आप ने कहा है कि इस के मूल्य निश्चित होने चाहियें। मैं उन से सहमत हूं। परन्तु उलझन इस बात की है कि कच्चा पटसन पटसन उद्योग पर निर्भर है और पटसन उद्योग निर्यात विपणि (मार्किट) पर आश्रित है। इस समय बी-१२ प्रकार के पटसन से निर्मित वस्तुओं का मूल्य ४०, ४२ अथवा ४३ रुपये के लगभग है। यह बहुत कम है और इस मूल्य को देखते हुये प्राथमिक उत्पादिक को अपने कच्चे पटसन के लिये जो मूल्य मिलेगा वह इस से कुछ कम ही होगा। मेरा किसी वस्तु को मूल्य के रूप में सहारा देना व्यर्थ है। जब कि निर्मित वस्तु पूर्णतः विदेशीय मांग पर निर्भर है। मैं यदि ऐसा कर भी दूं तो मैं इसे चला नहीं सकूंगा जब तक मैं केन्द्रीय कोष से इसके लिये १५ अथवा २० करोड़ की राजकीय सहायता की व्यवस्था न कर लूं। हम यथा-सम्भव उपायों द्वारा मूलोत्पादक की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु मुझे मानना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में मेरा उपज्ञान तथा मेरे संसाधन बहुत कुछ सीमित हैं।

इस चर्चा में चीनी के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। इस विषय में भी मुझे एक असुविधा का अनुभव हो रहा है क्योंकि यह मेरा विषय नहीं है। मद्रास के एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि चीनी मिल-मालिक को उत्पादक को उसका मूल्य दो किस्तों में देने की सुविधा क्यों दी गई है, तथा यह कि मूलोत्पादक के मूल्य को क्यों घटाया जाय। वह कहते हैं कि इस मूल्य को तो घटाया न जाय परन्तु उपभोग मूल्य को अवश्य कम किया जाय। मेरे माननीय मित्र श्री मोरे ने बतलाया है कि पूना में इसका मूल्य लगभग १ रु० १४ आना प्रति सेर है। वास्तव में चीनी का नियंत्रित मूल्य ३० रुपये के लगभग है, और स्पष्ट है कि पूना की फुटकर विक्रय व्यवस्था अत्यन्त दूषित प्रकार की होगी। टैरिफ बोर्ड बड़ी सावधानी से काम कर रहा है और चीनी का वर्तमान नियन्त्रित मूल्य निर्धारित करने में मिल-मालिक को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं दे रहा है। गन्ने के मूल्य और नियन्त्रित मूल्य के बीच का अन्तर इतना थोड़ा है कि किसी अनुचित व्यवहार के लिये गुंजायश ही नहीं रहती। मैं एक माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने मुझे बतलाया है कि निर्माण-परिव्यय और लाभ मिल कर २० प्रतिशत से भी कम रहते हैं। सम्भवतः यह यथार्थ है, और निर्माण-परिव्यय १५ से १६ प्रतिशत तक होता है। टैरिफ बोर्ड ने स्वयं यह सिफारिश की है कि गन्ने का मूल्य बढ़ा कर एक रु० १२ आना करने के स्थान पर घटा कर एक रु० ४ आना होना चाहिये। यदि इसे घटा कर एक रु० ४ आना पर ले आया जाय तो चीनी को २४ रुपये प्रति मन के भाव पर बेचा जा सकता है। परन्तु पूछा जा सकता है कि वह किस्तों द्वारा मूल्य-शोधन सम्बन्धी आदेश क्यों जारी किया गया है। मैं ने इस आदेश की प्रति मंगवाई थी परन्तु वह प्राप्त नहीं हो सकी। तो भी मुझे इतना तो याद है कि यह केवल एक पूर्वस्थिति को वैध रूप देने का प्रश्न है। चीनी मिल-मालिकों के पास चीनी का स्कन्ध बहुत अधिक हो चुका है। सरकार इस सारे स्कन्ध को संभाल नहीं सकती थी और इन लोगों के पास पर्याप्त वित्त की कमी थी।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

इसका शुद्ध परिणाम यह था: या तो कारखाना बन्द किया जाय और गन्ना लेना भी बन्द किया जाय और या गन्ना इस शर्त पर खरीदा जाय कि मूल्य कुछ ठहर कर दिया जा सके। यदि सरकार ने इस में हस्तक्षेप न किया होता तो भी मिल-मालिक ने यही कहा होता, "मुझे नहीं चाहिये, क्योंकि मेरे पास धन का अभाव है।" और सम्भवतः गन्ना उत्पादक ने भी यही कहा होता, "तुम गन्ना संभालो, पैसे फिर दे देना।" यदि ऐसा न किया जाता तो गन्ना उत्पादक के पास पड़ा ही सड़ जाता। सरकार के इस आदेश से दोनों को लाभ हुआ है। परन्तु लोगों की मनोवृत्ति ही कुछ इस प्रकार की हो गई है कि जहां कहीं कोई खराबी देखते हैं तुरन्त सरकार को दोष देने लगते हैं।

पंडित ए० आर० शास्त्री : अवशिष्ट मूल्य के चुकाने में कितना समय लग जायगा? हो सकता है कि किसानों को अत्यधिक हानि पहुंच जाय।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र को जो यू० पी० से आ रहे हैं यह ज्ञात होना चाहिये कि यह सब क्लेश इस लिये उत्पन्न हुआ कि हमें एक रुपया १२ आने देने पड़े। यदि हम ने १ रु० ८ आने मूल्य दिया होता तो इस संकट का सामना न करना पड़ता। उपभोक्ता चीनी को खरीद लेता। मिल वाला व्यापारी को बेच सकता और यह सब कुछ देखने में न आता। यह सब कठिनाइयां केवल इसी लिये उत्पन्न हुई हैं कि हमने एक ऐसा मूल्य निर्धारित कर डाला जो उत्पादक के लिये तो आर्थिक मूल्य था परन्तु उपभोक्ता के लिये अनार्थिक था। मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा। माननीय सदस्य को मुझ से बेहतर जानना चाहिये।

यू० पी० के मेरे माननीय मित्र श्री अग्रवाल का समर्थन बहुत मूल्यवान रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रवर्तन अधिक कठोर होना चाहिये। आपने यह भी शिकायत की है कि हम ने अपने काम का संक्षिप्त विवरण नहीं दिया है परन्तु मैं समझता हूं कि मंत्रालय ने एक टिप्पणी निकाली है।

एक माननीय सदस्य : दो टिप्पणियां।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, एक अतिरिक्त टिप्पणी भी निकाली गई थी क्यों कि पहली टिप्पणी को पर्याप्त नहीं समझा गया।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मुझे इस प्रकार का संक्षिप्त विवरण नहीं चाहिये था। मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि इस विधि के दण्ड-सम्बन्धी उपबन्धों के प्रवर्तन के विषय में इसका अभिपालन कहां तक हो रहा है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस में भी एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान्, जैसा कि सम्भवतः आप को ज्ञात है प्राक्कलन समिति का ऐसा विचार था कि इस मंत्रालय से संलग्न प्रवर्तन शाखा की कुछ आवश्यकता नहीं है। हम उस स्थिति की जांच करते रहे हैं। क्योंकि जो भी सुझाव इस सदन की किसी समिति द्वारा प्राप्त हो उसकी अभिपूर्ति अविलम्ब होनी आवश्यक है। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जो थोड़ा बहुत प्रवर्तन इस समय हो रहा है कहीं वह भी समाप्त न हो जाय। अतः हम ने स्थिति की पड़ताल की। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक इन अधिकारियों को तलाशी लेने का अधिकार नहीं दिया जायगा वह अधिक सफल रीति से इन उपबन्धों की अभिपूर्ति नहीं कर सकेंगे। अतः इस आशय की पूर्ति के लिये मैं ने दण्ड-सम्बन्धी उपबन्धों को

संशोधित करने पर भी विचार किया। परन्तु फिर यह सोचा गया कि इस विषय पर अभी और विचार किया जाय।

श्री सोमानी ने यह सुझाव रखा है कि कपड़े के मूल्यों का प्रश्न टैरिफ कमीशन (तटकर आयोग) को निर्दिष्ट कर दिया जाय। सम्भवतः वह जानते हैं कि मैं मिल उद्योग को यह कह चुका हूं कि मैं ऐसा करने के लिये पूर्णतः उद्यत हूं। कठिनाई केवल इस बात की है कि इस समय टैरिफ कमीशन के पास इतना अधिक काम एकत्रित हो रहा है कि उसे काफी समय लग जायगा। उस के पास पचास के लगभग विषय विचाराधीन हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टैरिफ कमीशन इस पर समुचित विचार करेगा परन्तु मुझे डर है कि कहीं मूल्य इस से भी कम न कर दिये जायें।

श्री गोपाल राव ने कई एक प्रश्न प्रस्तुत किये हैं। आप ने पूछा है कि मूल्यों का निर्धारण किस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है। इस विषय पर निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तव में सिद्धान्त यह है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि उपभोक्ता कहां तक दे सकता है, मूलोत्पादक को क्या दिया जाना उचित होगा और निर्माण परिव्यय क्या लगना चाहिये। आपने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हितों की पुष्टि कर रही है परन्तु पूंजीपति कहते हैं कि यह सरकार उनकी शत्रुता पर तुली हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्रम पत्र पर आज के लिये आध घण्टे की चर्चा भी रखी हुई है परन्तु माननीय सदस्य, श्री रामशेषय्या उपस्थित नहीं हैं, अतः यह चर्चा नहीं होगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री अविनाशलिंगम चेट्टियार ने जहां अन्य बातों की प्रशसा की है वहां साथ यह भी कहा है कि सरकार बड़े उद्योगों का छोटे उद्योगों की अपेक्षा अधिक ध्यान रखती है। सम्भवतः यदि वह उद्योगपतियों से पूछें तो वह उन्हें कुछ और ही कहानी सुनायेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने सामान्यत : इस विधि का समर्थन किया है परन्तु वह चाहती हैं कि इस की अवधि केवल एक वर्ष रखी जाय।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि यदि मैं ने उन की ओर से उठाये गये किसी विषय बिन्दु का उत्तर नहीं दिया है तो इसका यह अर्थ न लिया जाय कि सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। हम सम्पूर्ण आलोचना को अत्यन्त महत्वशाली समझते हैं। वास्तव में जहां तक इस विधि का सम्बन्ध है सरकारी पक्ष और अन्य पक्षों में कोई विशेष मतभेद नहीं है क्योंकि इसके ध्येय के विषय पर सभी सहमत हैं। इसकी कार्यान्विति में दोष हो सकता है परन्तु जहां तक हो सका उसे ठीक करने का प्रयत्न किया जायगा।

इसकी कालावधि को सीमित करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। चर्चा के लिये अवसर मिलते रहते हैं और यदि मुझे पूर्व सूचना दी जायगी तो मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट की ओर निर्देश किया है जिस में प्रवर्तन पुलिस वर्ग को हटाये जाने की सिफारिश की गई है। क्या सरकार का विचार उक्त सिफारिश की अभिपूर्ति करने का है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को निर्देश किया गया था और यह निश्चय हुआ था कि अभी इसे चलने दिया जाय।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह विषय अभी तक सम्बद्ध मंत्रियों के विचाराधीन है प्रश्न यह था कि यह काम साधारण पुलिस को दे दिया जाय, अथवा किसी अन्य मन्त्रालय के हवाले कर दिया जाय, अथवा एक अलग निकाय के रूप में रखा जाय जो महत्वपूर्ण मामलों की जांच करता रहे । कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी विशेष राज्य में किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ना होता है दो स्थानीय पुलिस यह काम नहीं कर सकतीं ।

विचार प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ ।

खंड २—(धारा १ इत्यादि का संशोधन)

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति ८ में "१९५५" के स्थान पर "१९५४" आदिष्ट किया जाय ।

अब तक इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है और जो उस पर अमेंडमेंड हैं उन का मिनिस्टर साहब भी तफसील से जवाब दे चुके हैं ।

इस में कोई शक नहीं है कि इस ज़माने में कोई इस बिल का विरोध नहीं कर सकता है । लेकिन इस की अमली तौर पर जो बुराइयां हैं उन को कोई एक लमहे के लिये भी सहन नहीं कर सकता । इस कंट्रोल (control) का यह मक़सद था कि मुल्क में जहां जहां स्केरसिटी एरियाज़ (scarcity areas) हैं और जहां खाने की कमी है उस को दूर किया जाय । और एक सोशल जस्टिस (social justice) अमल में लाई जाय । इस मक़सद को पूरा करने के लिये और इस को कामयाब बनाने के लिये स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की । इस में कोई शक नहीं है कि अगर हम सन् ४६ से अब तक के हालात को ग़ौर से देखें तो कोई नहीं कह सकता है कि कंट्रोल कामयाब रहे हैं । वह बिल्कुल नाकाम रहा है, बिल्कुल नाकारा रहा है और जो कुछ असर उस का होने वाला था उस से हम महरूम रहे हैं । लिहाज़ा अब गवर्नमेंट को इस काम को एक नये तरीक़े से लेना ज़रूरी होगा ।

जब कहा जाता है कि अफसरों में कुछ ख़राबियां हैं, तो उन का जवाब यही रहता है कि सोसायटी (society) बिल्कुल करप्ट (corrupt) है । सोसायटी तो पूरी पूरी करप्ट नहीं हो सकती है, हां कुछ इंडीविजुअल्स (individuals) और कुछ अफसर करप्ट हो सकते हैं । जब सोसाइटी को अफसरों से कोई शिकायत होती है तो जो बड़े बड़े अफसर हैं वह अपने छोटे अफसरों को सपोर्ट (support) करते हैं लेकिन पब्लिक की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती । मैं यहां चार पांच सुझाव देना चाहता हूं । एक यह है कि कंट्रोल प्रोडक्शन (production) पर भी होना चाहिये और प्रोक्योरमेंट (procurement) पर भी । लेकिन हम क्या देखते हैं ? हम देखते हैं कि सिर्फ़ प्रोक्योरमेंट पर ही कंट्रोल किया जाता है और डिस्ट्रिब्यूशन (distribution) पर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन पर कंट्रोल नहीं करते ।

इसलिये कहने का मक़सद यही है कि जब इस कंट्रोल में इतनी ख़राबियां आ गई हैं तो इस को एक साल के लिये ही रिन्यू (renew) करना काफी होगा । आज टैक्सटाइल इंडस्ट्री (textile industry) सफर (suffer) कर रही है और उस में किसी क़िस्म की जान बाक़ी नहीं रही है । अनाज का जो कंट्रोल अमल में आया है उस में भी खरा-

बियां हैं। इसलिये मेरी अपील है मिनिस्टर साहब से कि प्रोडक्शन का कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। बग़ैर प्रोडक्शन पर कंट्रोल किये और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर ही कंट्रोल से फायदा नहीं हो सकता। इधर ग्रो मोर फूड (grow more food) है, उधर ग्रो मोर जूट है, ग्रो मोर काटन है, ग्रो मोर ग्राउण्डनट है। इन में से किस को कितना देना चाहिये यह तै करके ज्यादा से ज्यादा खुराक़ को बढ़ाना ज़रूरी होगा। और एक साल के बाद ही हम को इस का मतालबा करना चाहिये और सारे हाउस को इस पर फिर से ग़ौर करना ज़रूरी होगा। इसलिये अभी इस को एक साल के लिये बढ़ाना काफी होगा। उसके बाद हम को देखना चाहिये कि यह किस हद तक कामयाब हुआ है और उस से हम को किस हद तक फायदा पहुंचा है। इसलिये मैं ज़रूरी समझता हूं कि एक साल काफी है और दो साल के लिये इस को पास करना ज़रूरी नहीं है। इतना कहते हुये मैं अपने अमेंडमेंट को मूव (move) करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर अस्वीकृत हुआ।

खंड २ को विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३ को विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ को विधयक का अंग बना लिया गया।

विधेयक का नाम तथा अधिनियमने सूत्र विधेयक का अंग बनाये गये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दामोदर मेनन (कोजीकोडे) : श्री गोपाल राव ने कहा है कि मद्रास में विनियन्त्रण सम्बन्धी प्रयोग असफ़ल रहा है। मद्रास के इस महाप्रयोग को भली भांति चलाये जाने की आवश्यकता है। मानना होगा कि जब पहले पहल विनियन्त्रण हुआ तो मूल्यों में वृद्धि हुई, विशेषकर तांजोर में, परन्तु सरकार ने उचित मूल्य वाली दुकानें खोल दीं जिस से मूल्य घट गये।

मेरा ज़िला, मालाबार, अभाव वाला ज़िला है परन्तु वहां विनियन्त्रण भली भांति चल रहा है और लोगों को सुख और शान्ति का अनुभव हो रहा है।

मैं नियन्त्रणों को बुरा नहीं कहता हूं परन्तु देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये इनका प्रयोग बहुत कम होना चाहिये। जहां जहां और जब जब सरकार अथवा जनता ऐसा अनुभव करे कि कोई विशेष नियन्त्रण हटाया जा सकता है तो उसे हटा देना ही उचित है। खाद्यान्न के विनियन्त्रण के विषय में मद्रास ने पथ-प्रदर्शन किया है और हमें उन्हें इस प्रयोग पर बधाई देनी चाहिये। अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रयोग असफल रहा है।

माननीय मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि नियन्त्रण सम्बन्धी वर्तमान सयन्त्र ठीक नहीं चल रहा है। यदि वितरण का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो इसका सुधार हो सकता है।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़ पश्चिम) : कंट्रोल (control) के सम्बन्ध में कुछ कहना और मधुर शब्दों में कहना, यह तो बिल्कुल ही असम्भव है। सभापति महोदय, कंट्रोल तो वह चीज़ है जो कभी आनी नहीं चाहिये थी। मनुष्य कोई कार्य करता है तो उस कार्य से उस का चरित्र या उस की शक्ति प्रतिबिम्बित होती है। उसी तरह सरकार भी कोई काम करती है

[बाबू रामनारायण सिंह]

तो उस से मालूम होता है कि किस ढंग की सरकार है, कैसी उस की नीयत है और कैसी उस की शक्ति है। यहां जो यह कंट्रोल है उस के बारे में कहा जाता है कि निष्फल रहा, मद्रास में जो कंट्रोल उठ गया तो निष्फल हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, न जाने कब से दुनिया है, कब से मानव समाज है, संसार में न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, किन्तु कहीं इतिहास में नहीं मिलता है कि इस तरह का कंट्रोल लगाया गया था। यह तो अजीब समय आ गया है, अजीब सरकार आ गयी है कि सब चीज़ों पर कंट्रोल कर दिया। यहां तक कि कोई बोलने नहीं पाता है। लोगों के बोलने और वोट देने पर भी कंट्रोल हो गया है, इस तरह की बातें आ गई हैं।

मैं एक सीधी सी बात कहता हूं और इसे हृदय से कहता हूं और दुख से कहता हूं। कंट्रोल के सम्बन्ध में जैसा और लोगों ने भी कहा, कभी सरकार का दावा यह कहने के लिये नहीं हुआ कि कंट्रोल सफलीभूत हुआ है। और न आज उन के अन्दर, किसी के अन्दर, यह कहने की ताक़त है कि यह किसी ज़माने में सफलीभूत होगा। तब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से पूछता हूं कि जब जो कार्य, जो नीति, कभी सफलीभूत नहीं हुई और न होने को है, तो उस को जारी रखना, इस से बढ़ कर दुनिया में और क्या मूर्खता हो सकती है ?

मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं किसी को भला बुरा कहना नहीं चाहता, लेकिन यह ऐसी चीज़ है कि जिस को मुझे आप से कहना ही पड़ेगा। मैं ने एक मंत्री को या तो यहां हाउस (House) में या किसी कमेटी मीटिंग में यह कहते सुना कि अगर सरकार कंट्रोल को उठा देगी तो उस विभाग में जो क़रीब ४५ हज़ार आदमी काम कर रहे हैं, उन का क्या होगा, मैं उन मंत्री महाशय का नाम जानता हूं, लेकिन उन को बुरा लगेगा, इसलिये मैं उन का यहां पर नाम नहीं लूंगा। मैं ने उन को अपने कानों से खुद कहते यह सुना कि अगर यह कंट्रोल हटा दिया जायगा तो यह ४५ हज़ार आदमी क्या काम करेंगे और कहां जायेंगे। अब भला बतलाइये कि उन मंत्री महोदय को ४५ हज़ार कर्मचारियों का तो ख्याल है, लेकिन इस कंट्रोल के रखने से जो ३५ करोड़ भारतवासियों की दुर्दशा हो रही है, उन के सुख दुख का कोई ख्याल नहीं है। मेरी राय है कि यह कंट्रोल कदापि सफल नहीं हो सकता है क्योंकि न तो गवर्नमेंट की नीयत ठीक है और न उसे अक़ल है कि वह इस को चला सके और इस सम्बन्ध में मुझे रामायण का यह सोरठा याद आ जाता है: .

फूले फले न बेत,
जदपि सुधा बरसहिं जलद।
मूरख हृदय न चेत,
जो गुरु मिलहिं विरंचिसम ॥

इसका अर्थ यह है.....

उपाध्यक्ष महोदय: क्या ज़रूरत है, जो हिन्दी समझते हैं वह इसका अर्थ स्वयं समझ जायेंगे, जो हिन्दी ही नहीं जानते वह इस का अर्थ भी नहीं समझ सकते।

बाबू रामनारायण सिंह: खैर, मैं तो इस का अर्थ कर ही देता हूं। बेत का एक पौधा होता है, उस में फल नहीं होते, और यदि आकाश से पानी की जगह अमृत की वर्षा भी हो, तो भी बेत के गाछ में फल नहीं हो सकते। इसी तरह यह ठीक कहा गया है कि यदि किसी मूर्ख पुरुष को ब्रह्मा

समान गुरु भी मिल जाये, तो भी मूर्ख मनुष्य के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता ।

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़) : रामायण में यह भी तो लिखा है: "सठ सुधरें सतसंगति पाये ।"

बाबू रामनारायण सिंह : मेरे कहने का अभिप्राय है कि सरकार ठीक उस मूर्ख की तरह काम कर रही है, उस में अक़ल नहीं है और न होने की आशा है । जैसा पंडित ठाकुर दास ने एक समय हमें बतलाया था कि उन के ज़िले हिसार में लाखों मन चना बर्बाद हो गया, और कंट्रोल की वजह से कहीं जा न सका । और मैं आप को बतलाऊं कि मैं अभी जम्मू प्रदेश से हो कर आया हूं, रास्ते में मकेरियां स्टेशन पर मैं ने सुना कि लाखों मन चावल बर्बाद हो रहा है, अब आप देखिये कि ऐसे समय में जब देश में लोग भूखे मर रहे हैं, इस तरह अनेक जगहों पर ग़ल्ला बर्बाद होता है और इन से मालूम पड़ता है कि हमारा कंट्रोल कितना नाकामयाब रहा है और मैं तो इस को किसी भी रूप में यहां पर नहीं रखना चाहता । कंट्रोल तो तभी सफ़ल हो सकता है जब आप के पास उसको अमल में लाने के लिये पर्याप्त साधन हों, आप में समुचित ताक़त हो और आप ग़ल्ले के समुचित वितरण का ठीक ठीक इन्तज़ाम कर सकें, लेकिन न तो आप के पास उस के लायक़ ताक़त है, न साधन हैं और न ही आप में उस के लायक़ अक़ल और ईमानदारी है, ऐसी हालत में कंट्रोल को बनाये रखना और देश को बर्बाद करना और यहां की जनता को भूखों मारना किसी हालत में भी उचित और ठीक नहीं है । मैं इस कंट्रोल के विरोध में और भी बहुत सी बातें आप को बतला सकता हूं, लेकिन ज्यादा न कह कर इस का घोर विरोध करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि वह कंट्रोल को उठा ले और उस के जारी रहने से यह जो भ्रष्टाचार और बर्बादी हो रही है, वह रुक सके ।

अब कपड़े पर कंट्रोल की क्या आवश्यकता है, मैं नहीं समझता । हम अपना कपड़ा दूसरे देशों में भेजते हैं तब फिर कंट्रोल को यहां जारी रखने का क्या कारण है ?

एक माननीय सदस्य : अब तो कपड़े पर से कंट्रोल उठ गया है ।

बाबू रामनारायण सिंह : नहीं उठा है भाई, अगर उठ जाता, तो कोई बात ही नहीं थी । मंत्री कहें कि कंट्रोल उठ गया, वह तो कहते हैं नहीं, अगर मंत्री ने आप को अधिकार दे दिया हो ऐसा कहने का तब तो दूसरी बात है, खैर, वह दूर की बात है । आखिर में मैं यह कहूंगा कि कंट्रोल यहां इस देश में नहीं रहना चाहिये, यह बिल्कुल अस्वाभाविक है, इस देश की काफी बुराई हो चुकी है और हो रही है । इस कारण से मैं इस का घोर विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस को वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ।

(इस प्रकार कई माननीय सदस्यों ने बोलने की इच्छा प्रकट की परन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने यह बात सदन पर छोड़ दी कि क्या इस विषय पर अधिक चर्चा होनी चाहिये । सरदार ए० एस० सहगल द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि इस प्रश्न पर मत लिया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।)

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दंड प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): डा० काटजू दूसरे सदन में कार्यव्यस्त हैं, अतः उन के नाम में जो प्रस्ताव रखा हुआ है उसे मैं प्रस्तुत करता हूं:

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य परिषद् द्वारा किये गये निम्न संशोधन पर विचार किया जाय:

> "विधेयक के खंड ७ में मुख्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३२ (क) के खंड (क) के अन्त में शब्द 'so operating' (इस प्रकार काम करने वाले) जोड़ दिये जायें।"

यह संशोधन इस धारा में इस सदन द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप हुआ है। इस ससदन ने यह शब्द "भूसेना के रूप में काम करने वाले" जोड़े हैं।

दूसरे सदन का मत है कि जब उपरोक्त शब्द जोड़े गये हैं तो यह शब्द "इस प्रकार काम करने वाले" भी जोड़े जाने चाहियें। इस के संशोधन में कुछ विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

विचार प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "विधेयक में राज्य परिषद् द्वारा किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाय।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ।

सदन की बैठक साढ़े तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्थान (संशोधन) विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम, १९५०, को निम्न सदस्यों, श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगर, लाला अचित राम, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले, श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री एच० सी० हेडा, श्री नेमीचन्द्र कास्लीवाल, श्री राम प्रताप गर्ग, पंडित चतुरनारायण मालवीय, श्री ज्वाला प्रसाद, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफ़िर, श्री सय्यद मुहम्मद अहमद काज़मी, करनल बी० एच० ज़ैदी, श्री दिगम्बर सिंह, श्री मूलचन्द दुबे. श्री कनहय्या लाल बाल्मीकि, श्री सय्यद अहमद, पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्रा, श्री बसन्त कुमार दास, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री राधाचरण वर्मा, चौधरी हैदर हुसैन, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री वी० पी० नायर, श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे, श्री भवानी सिंह, डा० मानिक चन्द जाटववीर, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री पी० एन० राजभोज तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिवस तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाय।"

(उपाध्यक्ष महोदय के आग्रह पर प्रस्तावक ने उनका नाम उक्त सूची में से निकाल दिया।)

श्री ए० पी० जैन: इस प्रस्ताव का सम्बन्ध एक अतिसूक्ष्म विषय से है। निष्क्रान्त

सम्पत्ति सम्बन्धी विधि इस सदन में एक विवादास्पद विषय है। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि यह विधि समुदाय के एक पक्ष को कुचलने के लिये निकाली गई है और दूसरी ओर यह दोषारोपण हो रहा है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति को लुटाया जा रहा है। मंत्री को मुगल सम्राट् से उपमा दी गई है जो निष्क्रान्त सम्पत्ति के विषय में अपनी मनमानी किये जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह दोनों आरोप सर्वथा निराधार हैं।

मैं दो वक्तव्यों की ओर निर्देश करूंगा जो इस सदन के दो माननीय सदस्यों द्वारा आयव्ययक सम्बन्धी सामान्य चर्चा के समय दिये गये। दोनों सदस्य, सरदार हुक्म सिंह, और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुराने सदस्य हैं।

सरदार हुक्म सिंह ने तो कहा है कि बहुत से मुसलमान लौट आये हैं और उन की सम्पत्ति उन्हें लौटा दी गई है। प्रत्याशा तो थी कि केवल बम्बई, देहली, और यू० पी० में ही ५०० करोड़ (पांच अरब) रुपये की सम्पत्ति इस संचिति के लिये प्राप्य हो सकेगी परन्तु इन 'छत्री वालों' और 'जापान वालों' को उनकी सम्पत्तियां लौटा दी जाने के पश्चात् यह संचिति सम्भवतः ५० अथवा ७० करोड़ ही रह जायेगी।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसी प्रकार का वक्तव्य दिया है। आप ने कहा है कि यह सब कुछ मुसलमानों के एक ऐसे वर्ग को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया गया है जो भारत को छोड़ कर पाकिस्तान चले जाने का निश्चय कर चके हैं।

इस सदन में इस प्रश्न का उत्तर देते हुये कि निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के अन्तगत किस प्रकार की सम्पत्तियां मुसलमानों को लौटाई गई हैं मैं ने १६ जुलाई १९५२ को यह बतलाया था कि यह सब सम्पत्तियां विशिष्ट नीति सम्बन्धी निर्णयों के अधीन लौटाई गई हैं। मैं ने उन निर्णयों का उल्लेख भी किया था। सरकार का पहला महत्वपूर्ण निर्णय तो यह था कि ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्तियां लौटा दी जायें जो निष्क्रान्त घोषित हो चुके हैं परन्तु जो वास्तव में कभी भी भारत से बाहर नहीं गये थे।

इस निर्णय के अन्तर्गत मत्स्य और गुड़गांव के मेवों को, पंजाब में अम्बाला और गुड़गांव ज़िलों के मुसलमानों को और लगभग ४२ ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें व्यक्तिगत रूप में प्रत्यास्थापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिये गये, सम्पत्तियां लौटाई गई थीं। जांच पर यह पता चला था कि यद्यपि उन्हें निष्क्रान्त घोषित कर दिया गया था वह वास्तव में भारत से बाहर नहीं गए थे। यह एक वर्ग विशेष है।

दूसरा वर्ग विशेष जिन्हें सम्पत्ति लौटाई गई उन मुसलमानों का था जो फ़रवरी से मई, १९५०, तक के कालान्तर में उत्तर प्रदेश से चले गये थे। इस प्रसंग में भारत सरकार ने अप्रैल, १९५० में हुये नेहरू-लियाकत समझौते के उपरान्त उन लोगों का प्रत्यास्थापन तथा पुनर्वास स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या २३,९९१ थी।

तीसरी श्रेणी उन व्यक्तियों की थी जिन के प्रसंग भारत सरकार द्वारा निर्गमित अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६० दिनांक ३ जुलाई, १९५०, के अन्तर्गत आते हैं जिसके अनुसार धारा २ (घ) (१), अधिनियम संख्या ३१, १९५०, के अन्तर्गत विशेष वर्ग के व्यक्तियों को छूट दी गई थी। इस प्रकार का प्रत्यास्थापन केवल चार प्रसंगों में हुआ है। इस के अतिरिक्त, तीन

[श्री ए० पी० जैन]

विदेशियों के प्रसंगों में भी सम्पत्तियों का प्रत्यास्थापन किया गया है ।

सदन को भली भांति ज्ञात है कि गत पांच वर्षों में निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कितने ही अध्यादेश तथा अधिनियम निकाले जा चुके हैं । प्रारम्भ में तो यह सब राज्य विधियां थीं । १९४९ में एक आदर्श विधेयक का परिचालन राज्यों में किया गया जिसके बहुत कुछ अनुकूल राज्य विधियों को बना लिया गया । तद्पश्चात्, अध्यादेश संख्या २७, वर्ष १९४९, निर्गमति हुआ, जो सारे भारत को लागू होता था और इस अध्यादेश को आगे चल कर अप्रैल, १९५० में, निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान अधिनियम के रूप में परिणत किर दिया गया । इन सभी अध्यादेशों तथा विधियों में भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्ति की भिन्न भिन्न परिभाषायें दी गई हैं । वास्तव में, पहले 'निष्क्रान्त सम्पत्ति' शब्दों की परिभाषा इनकी वर्तमान परिभाषा से भिन्न थी । इसका कारण यह था कि उस समय इन अध्यादेशों तथा अधिनियमों का निर्माण निष्क्रामकों की सम्पत्तियों के संरक्षण के हेतु हुआ था । आरम्भ में तो यह सम्पत्तियां मांगने पर ही उन्हें लौटाई जा सकती थीं । परन्तु बाद में पाकिस्तान की नीति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रत्यास्थापन पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । अतः इस से निष्क्रामकों को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होने के स्थान पर उल्टी उन के अधिकारों पर रोक सी लग गई ।

पूर्वी पंजाब निष्क्रान्त सम्पत्ति अध्यादेश, वर्ष १९४९, और १९४७ के निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम में 'निष्क्रामक' की भिन्न परिभाषायें दी गई हैं । यही भेद उत्तर प्रदेश और बम्बई की विधियों में पाया जाता है ।

जब निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान अधिनियम, १९५० में पारित हुआ, और इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण हुआ तो "निष्क्रामक" शब्द की न्यायोचित परिभाषा निर्धारित हुई, अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो उपद्रवों अथवा उपद्रवों के भय अथवा दो अधिराज्यों की स्थापिति के कारण पाकिस्तान चला गया हो, या ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान में रह रहा हो परन्तु जो अपनी सम्पत्ति की देखरेख के लिये उचित प्रबन्ध अथवा व्यवस्था न कर सकता हो, या ऐसा व्यक्ति जिसे किन्हीं परिस्थितियों में परित्यजित अथवा निष्क्रान्त सम्पत्ति की प्राप्ति हो चुकी हो । इस से स्पष्ट हो गया कि कितनी ही सम्पत्तियों को जो विधि द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित हो चुकी थीं और जो कस्टोडियन के अधिकार में चली आ रही थीं अब निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं समझा जाना चाहिये ।

मैं नहीं समझता कि कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि यद्यपि कोई व्यक्ति भारत को छोड़ कर पाकिस्तान नहीं भी गया हो तो केवल कुछ एक प्रावेधिक परिभाषाओं के आधार पर, जो पहले अधिनियम में दी गई थीं जो नितान्त भिन्न परिस्थितियों में बनाया गया था, उसे निष्क्रामक समझा जाय, यद्यपि "निष्क्रामक" का अर्थ ही अब सर्वथा बदल चुका है ।

अब मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि कितनी सम्पत्ति ऐसे लोगों को पुनः लौटाई गई है । पंजाब के गुड़गांव ज़िले में ४,७१३ मेव परिवारों को ३७,१३७ एकड़ भूमि लौटाई गई है । अलवर में ४,३६० व्यक्तियों को ७०,८०२ एकड़ और भरतपुर में ४६,९४२ व्यक्तियों को ७६,०२० एकड़ लौटाई गई । इन के अतिरिक्त अम्बाला में २८० परिवारों को १५,६०६ एकड़ और ऐसे मुसलमान परिवारों को जो मेव नहीं थे १२,९७९ एकड़ भूमि लौटाई गई । सब मिला कर इन वर्गों को २,१२,५४४ एकड़

भूमि लौटाई गई जब कि कुल निष्क्रान्त भूमि ५५,अथवा ६० लाख एकड़ होती है।

इसके अतिरिक्त ४२ व्यक्तिगत प्रसंगों में लगभग १८,८२,००० रूपये की सम्पत्ति लौटाई गई। यह वह लोग थे जो पाकिस्तान नहीं गये थे वरन् भारत में ही रहे थे। प्रधान मंत्रियों के समझौते के अन्तर्गत लगभग २४,००० व्यक्ति जो फ़रवरी और मई १९५० के बीच पाकिस्तान चले गये थे भारत लौट आये। ऐसे लोगों को २८ जून, १९५२, तक लगभग २,५०,००० रुपये की सम्पत्ति लौटाई जा चुकी है।

तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्हें जुलाई, १९५० की अधिसूचना लागू होती है। इस में दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं : एक तो वह जो पाकिस्तान जा चुके थे और परमिट प्रणाली के लागू होने के पहले लौट आये थे और एक वह जो पाकिस्तान जा कर स्थाई पुनर्संस्थापन परमिट लेकर लौट आये थे। इस श्रेणी में केवल चार व्यक्तियों को सम्पत्तियां लौटाई गई हैं, अर्थात् श्री मुहम्मद दीन छतरीवाला और तीन अन्य व्यक्तियों को। हमें धारा १६ के अधीन कार्यवाही इस लिये करनी पड़ी क्योंकि महाभिरक्षक ने यह विनिर्णय दे दिया था कि उक्त अधिसूचना भूतलक्षीरूप में लागू नहीं हो सकती। इन सम्पत्तियों का कुल मूल्य लगभग ३४,२३,००० रुपये बताया जाता है और अन्तिम श्रेणी में चार ऐसे प्रसंग आते हैं जिन में सरकार ने अपने स्वविवेक के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया है, जो किसी सुनिश्चित सिद्धान्त पर आधारित तो नहीं अपितु उसके लौटाये जाने के लिये समुचित कारण अवश्य थे। इन में तीन तो ईरानी थे और एक भारतीय था जो पाकिस्तान से लौट आया था। परन्तु यह व्यक्ति फिर पाकिस्तान जा चुका है और वह सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति बन चुकी है।

मैं ने यह सब कुछ विस्तार में इसलिये वर्णन किया है क्योंकि सदन में सरदार हुक्म सिंह ने और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार पर बहुत बड़े आरोप लगाये थे। वास्तव में जब कभी सरकार ने धारा १६ के अन्तर्गत कार्यवाही की है तो सुनिश्चित सिद्धान्तों के आधार पर ही की है।

मैं सरकार की नीति का स्पष्टीवर्णन कर देना चाहता हूं। हम ने "निष्क्रामक" की परिभाषा १९५० के अधिनियम में दे दी हुई है और हम उस परिभाषा को स्वीकार करते हैं। जिस किसी को यह परिभाषा लागू होती है उसकी सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा ले ली जाती है। यदि कोई सम्पत्ति किसी पुराने अध्यादेश आदि के अन्तर्गत ली जा चुकी हो परन्तु वर्तमान विधि के अन्तर्गत वह निष्क्रान्त सम्पत्ति की परिभाषा में न आती हो तो उसे लौटा दिया जाता है। इस विधेयक की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां 'निष्क्रान्त संचिति' को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये वहां कोई ऐसा उपबन्ध भी नहीं होना चाहिये जो इस देश के किसी नागरिक के प्रति किसी प्रकार के विभेद का परियाचक हो अथवा उसके हितों के प्रतिकूल हो, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म अथवा सम्प्रदाय का क्यों न हो। ऐसे उपबन्ध का रूपभेद होना अनिवार्य होगा।

गत अधिनियम अप्रैल, १९५०, में पारित हुआ था। इस कालान्तर में देश का सम्पूर्ण वातावरण ही बदल चुका है। उस समय कितने ही लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान जा चुके थे या जाने की सोच रहे थे। आज हमारी धर्म निर्पेक्ष नीति के फलस्वरूप वह बात नहीं रही है तथा सभी सम्प्रदायों के लोग समान सुख और शान्ति का अनुभव कररहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने लोगों का प्रवेश

[श्री ए० पी० जैन]

बन्द कर दिया है और अब वह पूरे परिवारों के आप्रवास की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अप्रैल, १९५० में नेहरू-लियाकत समझौते के पश्चात् दिसम्बर तक उत्प्रवासियों की संख्या १००० प्रति दिन थी, परन्तु १९५१ में केवल ३३० रही और १९५२ के पहले छः महीनों में केवल १५० व्यक्ति पाकिस्तान में बसने के लिये गये। इसी से ज्ञात हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास समा गया है और यह भी कि सामान्य परिस्थितियां प्रत्यास्थापित हो गई हुई हैं। इस से यह भी पाया जाता है कि अब उन कड़े उपबन्धों की आवश्यकता नहीं रही है जो १९५० में अनिवार्य थे।

इन संशोधनों का सुझाव देते हुये हम ने तीन मुख्य दृष्टिकोण अपने सामने रखे हैं। सर्वप्रथम, जहां कसी वर्तमान विधि द्वारा जनता के किसी वर्ग को कष्ट पहुंचा है हम ने उस विशेष उपबन्ध को या तो हटा दिया है या उस में रूपभेद कर दिया है। कहीं कहीं हम ने विस्थापितों के हितों के लिये संशोधन का सुझाव दिया है। तीसरे, प्रशासन के विचार से कुछ एक दोषों को ठीक करने का सुझाव दिया गया है।

अब मैं इस विधयक के उपबन्धों को एक एक करके लेता हूं। इसके दो अत्यधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध है, एक तो निष्क्रमणार्थियों सम्बन्धी अध्याय चार का अपमार्जन और दूसरा पुष्टिकरण सम्बन्धी धारा ४० का रूपभेद। निष्क्रमणार्थी की परिभाषा धारा २(ड़) में दी गई है। इससे अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके आचरण में अथवा प्रलेखीय साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध हो जाय कि उस का विचार पाकिस्तान में जा बसने का है। परन्तु उक्त खंड में कुछ एक ऐसे कृत्यों का उल्लेख किया गया है जिन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति निष्क्रमणार्थी है, अर्थात् निष्क्रमण का विचार रखता है। सर्वप्रथम ऐसा व्यक्ति जो अपनी किसी सम्पत्ति को पाकिस्तान में स्थानान्तरित करे "निष्क्रमणार्थी" होगा। सिवाय उस दशा के कि वह स्थानान्तरण अपने पाकिस्तान निवासी परिवार के भरण-पोषण के लिए हो अथवा सामान्य व्यापार के सम्बन्ध में। दूसरे, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में स्थित किसी निष्क्रान्त सम्पत्ति का अर्जन कर ले अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति को भारत-स्थित किसी सम्पत्ति के बदले में अधिग्रहित कर ले, तो उसे निष्क्रमणार्थी घोषित किया जा सकता है। परन्तु यह कृत्य १८ अक्तूबर, १९४९, से पूर्व के होने चाहियें। यदि वह इसके बाद ऐसा करता है तो वह निष्क्रमणार्थी नहीं बनता वरन् निष्क्रामक बन जाता है।

हम निष्क्रमणार्थियों सम्बन्धी इन उपबन्धों का अपमार्जन करना चाहते हैं। कारण यह है कि १८ अक्तूबर, १९४९ से अब तक तीन वर्ष बीत चुके हुए हैं। यदि किसी ऐसे कृत्य के आधार पर उसके विरुद्ध कोई अनुमान हुआ भी हो तो उसके निरन्तर तीन वर्ष तक भारत में रहने से वह अनुमान समाप्त हो जाता है। हमें निष्क्रमाणार्थी के कष्टों पर विचार करना होगा। वह अपनी बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए भी अपनी सम्पत्ति को बेच नहीं सकता। उसे अभिरक्षक की अनुमति प्राप्त करनी होती है। हिसाब रखने पड़ते हैं। परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अब यह उपबन्ध विधिपुस्त पर नहीं रहना चाहिए। इससे निष्क्रान्त सचित्ति में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अपितु इस से हमारी जनता के एक वर्ग को अत्यन्त हानि पहुंच रही है। मेरे पास कितनी ही ऐसी शिकायतें पहुंच चुकी हैं कि भारत का कोई मुस्लिम नागरिक अपनी सम्पत्ति बेचना चाहता है परन्तु कोई खरीदने

को तैयार नहीं है क्योंकि लोगों को यह डर रहता है कि ऐसा न हो कि कहीं धारा ४० के अन्तर्गत उसकी पुष्टि न हो सके।

निष्क्रमणार्थियों के सम्बन्ध में तथा धारा ४० के रूपभेद के सम्बन्ध में यह सुझाव रखने से पूर्व मैंने भिन्न वर्गों के लोगों से परामर्श किया है। वर्तमान वस्तुस्थिति कुछ ठीक नहीं है। अतः दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसका सुझाव हमने दिया है वह वर्तमान अधिनियम की धारा ४० के सम्बन्ध में है। इस धारा का आशय यह है कि अभिरक्षक के पुष्टिकरण के बिना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरण जो बाद में निष्क्रामक घोषित हो जाय वैध नहीं होगा। इस प्रकार का पुष्टिकरण ५,२५४ प्रसंगों में तो दे दिया गया परन्तु २,४३८ प्रसंगों में नहीं दिया गया। मेरे पास इन सम्पत्तियों के यथार्थ मूल्य के सम्बन्ध में तो सूचना प्राप्य नहीं है परन्तु जिन प्रसंगों में पुष्टि हो सकी है उनमें सम्पत्ति का मूल्य चार करोड़ से कम है।

हम अब धारा ४० में निम्न परिवर्तन करना चाहते हैं :—

कोई व्यक्ति जो अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करना चाहता है अभिरक्षक के पास जाकर उसे अपनी आवश्यकताओं के विषय में बतला सकता है। हो सकता है कि उसे अपने व्यापार में विनियोजन के लिए रुपये की आवश्यकता हो, अथवा उसकी लड़की का विवाह हो, अथवा उसे कई ऋण चुकाना अथवा किसी अन्य वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की जरूरत हो। यदि अभिरक्षक उसे अनुमति दे दे तो वह व्यवहार ठीक समझा जाएगा। कोई उस पर आपत्ति नहीं उठा सकेगा।

यदि किसी व्यवहार के सम्पादन के पश्चात् दो वर्ष तक वह व्यक्ति भारत में ही रहता है तो उस पर आपत्ति नहीं हो सकेगी।

तीसरा अपवाद हम यह रखना चाहते हैं कि किसी एक वर्ष में ५००० रुपये तक के व्यवहार के लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। इससे गरीब वर्ग के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। परन्तु यदि वही व्यक्ति उसी वर्ष में दूसरा व्यवहार करेगा तो पहला भी रद्द समझा जाएगा।

जब कभी यह पाया जाय कि कोई विशेष व्यवहार दुर्भाव-प्रेरित नहीं है वरण अभिरक्षक के विचार से कुछ धन बदले में अवश्य दिया गया है तो उस राशि को क्रेता के हितार्थ एक सामान्य ऋण के रूप में पंजीबद्ध कर लिया जाता है।

इसी प्रकार हमने धारा ४१ को अधिक स्पष्ट कर दिया है।

विधेयक के खंड ४ में केन्द्रीय सरकार अभिरक्षक की नियुक्ति का अधिकार ग्रहण कर रही है। वर्तमान स्थिति कुछ अनियमित सी है। यद्यपि निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानून के प्रशासन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है, राज्यों में अभिरक्षकों की नियुक्ति राज्यों द्वारा होती है। इससे कठिनाई हो रही थी। अतः खंड चार के संशोधन का सुझाव रखा गया है।

खंड ६ और ७ का सम्बन्ध कुछ एक कठिनाइयों से है जो शरणार्थियों को उठानी पड़ रही हैं। वर्तमान विधि के अनुसार १४ अगस्त १९४७ से पहले का पट्टा अभिरक्षक द्वारा रद्द नहीं हो सकता। कई प्रसंगों में देखा गया है कि १४ अगस्त, १९४७ से पहले से रहने वाले किरायादार ने मकान आदि किसी अन्य व्यक्ति को दे रखा है। हमारा यह सुझाव है कि ऐसे प्रसंगों में अभिरक्षक को अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिससे वह व्यक्ति निकाला जा सके।

खंड १६ द्वारा हमारे उस दृष्टिकोण का संहिता बन्धन किया गया है जो हमने छतरीवाला केस संबंधी चर्चा के संबंध में

[श्री ए० पी० जैन]

अपनाया था । महाभिरक्षक का तर्क यह था कि सरकार द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र सहायक मात्र था और उसे मानना या न मानना उसके अपने स्वविवेक पर निर्भर था परन्तु हम उसे एक अन्तिम आदेश समझते थे ।

अन्तिम संशोधन जो महत्वपूर्ण है वह धारा ५२ से संबंधित है । महाभिरक्षक का मत यह था कि धारा ५२ के अन्तर्गत अधिसूचना भावी हो सकती है भूतलक्षी नहीं, अर्थात् यह कि वह उन संपत्तियों को लागू नहीं हो सकती जो १९५० के अधिनियम के पहले की किसी विधि के अन्तर्गत अभिरक्षक द्वारा संभाली गई । अब स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिसूचना पिछले व्यवहारों को भी लागू हो सकती है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किन प्रसंगों में धारा ५२ के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिए और किन में धारा १६ के अन्तर्गत ।

कुमारी आनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : मैं जान सकती हूं कि संपत्ति का मूल्य किस प्रमाप से निर्धारित किया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : यथासंभव बाज़ार भाव ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रवर संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि : विधेयक को सर्व साधारण की सम्मति जानने के लिये परिचालित किया जाय ।

माननीय मंत्री ने हमें बतलाया है कि निष्क्रांत संचिति (पूल) को कोई विशेष हानि नहीं हुई है । आपने यह भी कहा है कि मेरे और डा० मुखर्जी के वक्तव्यों में बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है । मैं ने अवश्य यह कहा है कि निष्क्रांत संचिति घटते-घटते लगभग ५० और ७० करोड़ के बीच रह गई है । एक समय कहा गया था कि इससे लगभग ३५० करोड़ रुपये की प्राप्ति की आशा है जिस से ग़रीब शरणार्थियों को रुपये में आठ आने की प्राप्ति की आशा हो सकती है ।

इस निष्क्रांत सम्पत्ति और प्रतिकर के प्रश्न का गहरा संबंध शरणार्थियों के भविष्य से है । यह लोग चिरकाल से इस प्रतीक्षा में हैं कि इस विधि का प्रयोग इस प्रकार से किया जायगा कि जिस से कि यहां के सद्भावी मुस्लिमों को तो किसी प्रकार की हानि न होगी परन्तु उन लोगों की संपत्तियां सम्मिलित कर ली जाऐंगी जो अपने परिवारों को पाकिस्तान भेज चुके हैं और स्वयं भी चले जाने पर कटिबद्ध हैं । ऐसे कुछ लोगों ने तो वहां संपत्तियां भी प्राप्त कर ली हुई हैं । कुछ ने वहां अपने व्यापार चला रखे हैं और उन्हें चलाने के लिये यहां से बड़ी २ धन राशियां भिजवा चुके हैं । हम समझते थे कि ऐसे लोगों को यह विधि लागू की जा सकेगी।

परन्तु हमें यह देखकर अत्यन्त दुःख हुआ है कि ऐसा नहीं किया गया है । इसके विपरीत इस सरकार की यही नीति रही है कि सभी निष्क्रांतों को वापस लाया जाकर उनकी संपत्तियां उन्हें लौटा दी जाएं । परन्तु पाकिस्तान की नीति इस के उल्ट होने के कारण हमारी यह नीति सफल नहीं हो सकती । उसकी प्रतिक्रिया यहां होनी अवश्यंभावी है ।

हमारे प्रवक्ताओं ने सम्मेलनों द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता करने के कितने ही प्रयत्न किये परन्तु सफलता न हो सकी । जब श्री गोपालस्वामी अय्यंगार उस ओर से पूर्णतः निराश हो चुके तो उन्होंने

हमें यह आश्वासन दिलाया कि प्रतिकर दिलवाया जाएगा। उन्होंने स्रोतों का उल्लेख भी किया था, अर्थात् मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत संपत्ति, वह राशि जो हमें पाकिस्तान से प्राप्त हो सके और हमारी सरकार की ओर से भी पर्याप्त अंशदान जो शरणार्थियों के संतोष का कारण हो सके। यह ठीक है कि तद्पश्चात् प्रधान मंत्री यह कह चुके हैं कि यह प्रतिकर प्रथम दो स्त्रोतों में से ही दिया जाना चाहिए। परन्तु पाकिस्तान तो इस विषय पर बात भी करने को तैयार नहीं है। ऐसी दशा में शरणार्थियों की सभी आशाएं निष्क्रांत संपत्ति पर लग रही थीं। परन्तु जिस अध्यादेश का निर्माण अन्ततः हुआ उस से सर्वत्र निराशा छा गई। यह भी कहा जाता है कि जो प्रारूप पहले बनाया गया था उसे बाद में जमीअत-उल-उलमा के आग्रह पर बदल दिया गया।

कहा गया है कि सरकार का उद्देश्य न्याय रहा है परन्तु वास्तव में मुस्लिमों को प्रसन्न रखने की उसी पुरानी नीति का अवलम्बन किया जा रहा है।

यद्यपि पाकिस्तान का तत्संबंधी विधान १५ अक्तूबर, १९४९, को काफ़ी कठोर था तो भी उन्होंने एक नया अध्यादेश निकाल दिया कि यदि किसी परिवार का एक भी व्यक्ति पाकिस्तान छोड़ जायगा तो उसके शेष सभी संबंधियों की संपत्तियां भी छिन जाएंगी और निष्क्रांत समझी जाएंगी। इस विधान में किसी अपील का उपबन्ध नहीं रखा गया था। न ही अभिरक्षक द्वारा किसी पूर्वसूचना की आवश्यकता थी। यदि कोई यह दावा लाता है कि कोई संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति नहीं है तो प्रमाण का भार उस पर होता था। उक्त विधान द्वारा एक प्रकार का पूर्वानुमान स्थापित कर दिया गया कि प्रत्येक संपत्ति निष्क्रांत है जब तक कि इस के विपरीत प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया जाय। इधर हमारे वाले केन्द्रीय अध्यादेश में जो १८ अक्तूबर, १९४९ को निकाला गया यह उपबन्ध रखे गए कि अभिरक्षक के लिये पूर्वसूचना देना अनिवार्य होगा, दूसरे व्यक्ति को जवाब देने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, किसी संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति सिद्ध करने का उत्तरदायित्व अभिरक्षक पर होगा। इस विधान के परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की संपत्ति छोड़नी पड़ी।

यही नहीं, महाभिरक्षक को प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा पत्र तक भी लिखे गये हैं कि अमुक संपत्ति को छोड़ दिया जाए। वास्तविक अधिकार तो सरकार के अपने पास ही रहता है क्योंकि जब सरकार किसी को छट संबंधी प्रमाण पत्र दे देती है तो महाभिरक्षक उस में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

यह एक तथ्य है कि कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जो अपने परिवारों को पाकिस्तान में रखे हुए हैं। वह अपने व्यापार के लिए और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए वहां रुपया भेज सकते हैं और भेज र हैं। सब कुछ करते हुए भी वह लोग भारत के सुयोग्य नागरिक समझे जाते हैं। हो सकता है कि एक मुस्लिम नवयुवक कश्मीर में हमारे विरुद्ध लड़ रहा हो और उसके भरण पोषण के लिए उसे यहां से अपने पिता द्वारा धन भेजा जा रहा हो।

केवल देहली में ही ३,५०० मकान ऐसे हैं.....

श्री ए० पी० जैन: केवल १२१।

सरदार हुक्म सिंह: मेरी सूचना के अनुसार नगर के मुस्लिम विभागों में ३५०० मकान ऐसे हैं जहां अभिरक्षक भी नहीं जा सकता। उन पर अधिकार नहीं किया गया।

[सरदार हुक्म सिंह]

वह सब जमीयत के अधिकार में हैं, चाहे जिसे दें । लोग गली कूचों में पड़े सड़ रहे हैं परन्तु कोई हिंदू अथवा सिख इन मुहल्लों में प्रवेश तक नहीं कर सकता ।

अब इस विधेयक द्वारा उन्हें सुविधायें दी जा रही हैं कि आकर उन मकानों को फिर से संभाल लें । और वह लोग आऐंगे और उन्हें फिर से संभाल लेंगे । माननीय मंत्री केवल उन संपत्तियों की बात कर रहे हैं जिनका व्यवस्थान निष्क्रांत संपत्ति के रूप में हो रहा है । परन्तु मैं उन संपत्तियों की ओर भी निर्देश कर रहा हूं जो अभी तक निष्क्रमणार्थियों की संपत्तियां हैं । परन्तु इस विधेयक द्वारा उन सबको छोड़ा जा रहा है । कहा गया है कि तीन साल तक हम ने इन लोगों की परीक्षा ली है और उन्हें ठीक पाया है, वह यहीं रहना चाहते हैं । यह असत्य है । वह लोग इसलिए रुके रहे हैं कि वह अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते थे । जैसे ही बेच लेंगे चले जाऐंगे । परिवार उनके पहले से ही गए हुए हैं । विधि की जो रुकावट उन के पथ में थी वह इस विधेयक द्वारा हटाई जा रही है । यदि वास्तव में इन लोगों की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन आ चुका होता तो वह अपने परिवारों को वापस ले आये होते । उनके व्यापार वहां चल रहे हैं, उन्होंने वहां संपत्तियां खरीद ली हैं । हमने तो अपने कर्मचारियों तक को यह छूट दे रखी है कि वह अपने परिवारों को पाकिस्तान में ही रहने दें और स्वयं यहां काम किए जांए ।

पहले उपबन्ध के अनुसार १४ अगस्त, १९४७ के पश्चात् संपत्ति का हस्तान्तरण करने वाले को निष्क्रमणार्थी घोषित किया जा सकता था, परन्तु अब यह तिथि बदल कर १८ अक्तूबर, १९४९ कर दी गई है । इस छूट के फलस्वरूप वह सभी लोग अब निकल जायेंगे और संपत्तियां बेच कर सब रुपया अपने साथ पाकिस्तान को ले जाऐंगे । हमें बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति हस्तान्तरण के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर चला जायगा तो उस हस्तान्तरण पर आपत्ति हो सकती है । परन्तु उस से तो हानि खरीदने वाले भारतीय को ही होगी । इस प्रकार के मामले हो भी चुके हैं ।

इन सब बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान इसलिये दिलाया गया है कि इसी संपत्ति में से ही तो शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति दिलवाई जानी है । माननीय मंत्री ने और प्रधान मंत्री ने भी स्पष्टतः कह दिया है कि सरकारी कोष से कुछ नहीं दिया जा सकता । अतः स्वाभाविकतः शरणार्थियों को इस विषय में अभिरुचि रहती है । सरकार को भी चाहिए कि जब निष्क्रांत सम्पत्ति के संबंध में कोई विधि बनाना चाहें तो उन लोगों की सभाओं से परामर्श लें जो नहीं लिया गया । इसीलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को परिचालित किया जाए ।

उपाध्यक्ष द्वारा पूछे जाने पर मंत्री महोदय ने बतलाया कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है । उन्होंने कहा कि प्रवर समिति सभी कुछ सुनने के लिए तय्यार होगी।

पंडित ए० आर० शास्त्री : मैं अपने मित्र सरदार हुक्म सिंह से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी के जो सदस्य हैं, उन के पास रिफ़यूजी एसोसियेशनस (refugee associations) के लोग और दूसरे लोग अपनी अपनी राय दे ही सकते हैं और सिलेक्ट कमेटी अवश्य ही उन सब बातों पर विचार करेगी और जो कुछ इस एक्ट में बदलाव करना उचित होगा, उसको करने

को वह तैयार रहेगी, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें और यह सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अमेंडमेंट सेलैक्ट कमेटी के सामने भी आ सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरे हृदय में अपने मित्र के लिये बहुत सम्मान है और मैं उन को इस नेक मशविरा देने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह मुझे कृपया माफ़ करें, क्योंकि मैं अपने अमेंडमेंट को वापस नहीं लेना चाहता ।

परिचालन संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रसर समिति संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव उक्त समिति के सभापति नियुक्त हुए ।

वायदे के सौदे (नियमन) सम्बन्धी विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन अगले विधेयक अर्थात् वायदे के सौदे (नियमन) संबंधी विधेयक को लेगा । श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ।

(माननीय मंत्री उपस्थित नहीं थे । पंडित ए० आर० शास्त्री तथा बाबू रामनारायण सिंह द्वारा आपत्ति उठाई गई कि सदन को बिना कार्यक्रम के नहीं बैठे रहना चाहिए परन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब तक मंत्री महोदय नहीं आते तब तक माननीय सदस्य विधेयक का अध्ययन कर सकते हैं ।)

पंडित ए० आर० शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह बहुत बुरा कन्वैंशन (convention) इस्टेबिलिश (establish) हो जायगा कि हाउस के सामने कोई बिजनेस (business) न हो और मिनिस्टर साहब बुलाए जायें और इस बीच हाउस खाली बैठा रहे । मैं समझता हूं कि यह मुनासिब होगा अगर हाउस अभी दस पंद्रह मिनट के लिये ऐडजोर्न (adjourn) हो जाय और फिर थोड़ी देर बाद बैठे, हाउस का इस तरह बिना किसी बिज़नेस के बैठे रहना उचित नहीं है और यह हम बहुत बुरा कन्वैंशन इस्टैब्लिश करेंगे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वायदों के सौदों तथा विकल्प (आप्शन) प्रतिषेध से संबंधित कुछ एक विषयों के नियमन तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को निम्न सदस्यों, श्री चमनलाल चकुभाई शाह, श्री वी० बी० गांधी, श्री घमंडी लाल बन्सल, श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री रघुवीर सहाय, श्री सिंहासन सिंह, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री बलवन्त सिंह मेहता, श्री असीम कृष्ण दत्त, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद मिश्र, श्री आर० पी० नेवटिया, श्री अहमद मुहीउद्दीन, डा० रामसुभग सिंह, श्री पी० टी० थानू पिल्ले, श्री जी० आर० दामोदरण, श्री के० टी० अच्युतन, श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्री जगन्नाथ कोले, श्री सी० आर० चौधरी, श्री उमाशंकर मूलजी भाई त्रिवेदी, श्री तुलसी दास किलाचन्द, श्री अमजद अली, श्री रायासाम शेषगिरि राव, श्री जी० डी० सोमानी, श्री देवकांत बरुआ, श्री भवान जी ए० खीम जी, श्री भगवत झा आज़ाद, श्री सतीश चन्द्र, श्री राधेलाल व्यास, श्री डी० पी० करमरकर, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन से पूर्व उपस्थित करने का निर्देश दिया जाय ।"

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

वायदों का व्यापार एक ऐसा व्यवहार है जिसे "विपणि-अर्थव्यवस्था" (मार्किट इकानोमी) का युक्तिमूलक विकास कहा जा सकता है । संसार के सुविकसित देशों में जहां सामान्यतः विपणि-अर्थव्यवस्था रहती है इस प्रकार के व्यापार को बहुत कुछ महत्व दिया जाता है, क्योंकि इससे मूल्यों का चढ़ाव-उतार कम से कम रखा जा सकता है । इस विधेयक का अभिप्राय एक ऐसे यंत्र का प्रावधान करना है जिसके द्वारा सरकार वायदों के सौदों का अखिल भारतीय आधार पर नियमन कर सके । यदि यह मान लिया जाय कि एक ऐसे देश में भी इस व्यवहार का होना आवश्यक है जहां मार्किट अर्थ-व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं है, सरकार समझती है कि इन व्यवहारों पर उसका कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिये । अमेरिका में यद्यपि सरकार सामान्यतः व्यापार तथा वाणिज्य में हस्तक्षेप नहीं करती तो भी वायदों के सौदों पर एक अधिनियम द्वारा नियंत्रण रखा गया है । हमारे संविधान में मद "श्रेष्ठि-चत्वर (स्टाक एक्सचेंज) और वादा बाजार" सप्तम अनुसूची, सूची १, में मद संख्या ४८ के रूप में दी हुई है । अनुसूची में इस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी राज्य सरकार के लिये इस विषय में विधान बनाना असंभव है परन्तु संविधान के प्रवर्तन से पूर्व बम्बई सरकार के पास वायदों के व्यापार के नियमन के लिए विधि थी । यह विधि जो इस समय बम्बई में लागू है सामान्यतः वर्तमान विधेयक के अनुरूप है । बम्बई वायदे के सौदे नियंत्रण अधिनियम, १९४७, को रुई, सोना-चांदी तथा तिलहन के लिए लागू किया गया है । यह नहीं कहा जा सकता कि इस सरकार का द्रव्य-विनिमय और वायदों के सौदों में कुछ भी संबंध नहीं है । सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९४६, के अन्तर्गत कुछ नियंत्रण तो रखा ही जा रहा है । परन्तु उक्त अधिनियम बहुत थोड़ी वस्तुओं पर लागू होता है और उसके अन्तर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग कभी भी इस ढंग से नहीं किया गया जैसा इस विधेयक के अन्तर्गत किए जाने का विचार है ।

इस विधेयक का विषय बहुत समय तक केन्द्रीय सरकार और विभिन्न संस्थाओं के मध्य चर्चा का विषय रहा है । विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों द्वारा इस के उपबन्धों की छान बीन की गई है और उन्होंने इन पर अपने विचार प्रकट किये हैं । इस विधेयक का प्रथम प्रारूप फरवरी, १९५०, में बनाया गया और राज्य सरकारों, रिज़र्व बैंक आफ इंडिया, व्यापार मंडलों और अन्य संबद्ध संस्थाओं के मत प्राप्त किए गए । जुलाई, १९५० में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त यह विचार एक विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किए गए । तद्पश्चात् इस विधेयक को विशेषज्ञ समिति की टीका टिप्पणी और सिपारिशों के प्रकाश में परिशोधित किया गया और दिसम्बर, १९५०, में अस्थाई संसद् में पुरःस्थापित किया गया । लगभग अप्रैल, १९५१, में प्रवर समिति को निर्दिष्ट करवाए जाने के अभिप्राय से इसे अस्थाई संसद् में प्रस्तुत किया गया । प्रवर समिति ने इसकी और अधिक छान बीन की और संशोधन भी किए परन्तु काम की अधिकता के कारण प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जा सका । उसके पश्चात् मिले कालान्तर में इस विधेयक का और अधिक परिनिरीक्षण किया गया है । इसका वर्तमान रूप उससे भी कुछ बदला हुआ है ।

जहां तक वायदा-व्यापार के संबंध में सरकार की नीति का संबंध है सरकार समझती है कि द्रव्यों का व्यापार करने वाले

लोगों द्वारा वायदा-व्यापार के लिए कतिपय सुविधाओं के लिए काफ़ी बड़ी मांग है। सरकार समझती है कि किसी प्रकार के नियमन के बिना वायदा-व्यापार कहीं कोरा सट्टा बनकर न रह जाय। कहा जा सकता है कि वर्तमान विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत भी सट्टे की गुंजाइश रहेगी। यह किसी सीमा तक सत्य है। एक सुसंगठित वायदा-विपणि व्यापार की जोखिम को पूर्णतः समाप्त तो नहीं कर सकती परन्तु इससे यह लक्ष्य-सिद्धि बहुत कुछ हो जाती है क्योंकि जोखम एक प्रकार की व्यावसायिक सट्टेबाज़ों की संस्था पर जा पड़ता है, और वास्तव में यह मूल्यों के अकस्मात चढ़ाव-उतार से बचने के लिये एक प्रकार के बीमे का काम करती है।

जहां तक इस में जोखिम है सट्टे का तत्व भी मौजूद रहता है। परन्तु यह वायदा-व्यापार संस्थाएं जोखिम को टालने में सहायक होती हैं। उसका काम एक बीमा कम्पनी के तुल्य है जो आग और दुर्घटना का बीमा करती हो यद्यपि उतना वैज्ञानिक न भी हो तो।

परन्तु वायदा-विपणि के उचित रीति से चलने के लिए एक शर्त का होना अनिवार्य है और वह यह है कि एक सुसंगठित विपणि मौजूद होनी चाहिये। सरकारी नियमन भी होना चाहिए परन्तु यही काफी नहीं। मैं मानता हूं कि भारत में विपणि पर सरकारी अथवा अन्य नियंत्रण के संबंध में हमारा अनुभव कुछ संतोषजनक नहीं रहा है। संकटकाल में तो निस्संदेह ही नियमन के प्रयत्न निष्फल रहे हैं। इन संस्थाओं में न केवल मनुष्य की जूआ की प्रवृत्ति के कारण ही गतिरोध हो जाता है वरन् उनके तत्वावधान में काम करने वाले लोगों की अवैतिकता के कारण भी। कितनी ही बार ऐसा देखा गया है कि दीर्घ काल के लिए मार्किट बन्द हो गई हैं केवल इसलिए कि इन संस्थाओं के चलाने वाले समय पर शोधन नहीं कर सके।

युद्धकाल में सरकार ने कई एक द्रव्यों में जैसे तिलहन, वनस्पति तेल, कपास, चीनी तथा सोना-चांदी, वायदा-व्यापार भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत बन्द कर दिया था। भारत रक्षा अधिनियम की समाप्ति पर ऐसे कुछ एक आदेश सारभूत प्रदाय अधिनियम, १९४६, के अन्तर्गत चालू रखे गए और कुछ एक अन्य वस्तुओं के बारे में नए आदेश भी निकाले गए। यदि यह विधेयक पारित हो गया तो सरकार बड़े ध्यान से उन विषयों का निर्धारण करेगी जिन में वायदा-व्यापार की अनुमति फिर से दे दी जानी चाहिए। मांग और प्रदाय की भावी परिस्थितियों और उनके थोक मूल्यों में और निर्वाह-परिव्यय पर संभावी प्रभाव के विषय में पूरी जांच की जाएगी। केवल उन्हीं पदार्थों के लिये वायदा-व्यापार की अनुमति दी जाएगी जिनके लिए इस सुविधा को वास्तविक आवश्यकता है और इसे केवल ऐसी संस्थाओं तक ही सीमित रखा जाएगा जिनके नियमों, परिनियमों और सामान्य स्थिति और अनुभव से इस बात की उचित प्रत्याभूति प्राप्त हो सकेगी कि उनके सदस्यों की गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाएगा।

सरकार वायदा-व्यापार के नियमन का यह काम पहली बार हाथ में ले रही है और उसे इस क्षेत्र में कुछ अधिक अनुभव भी प्राप्त नहीं है। कम से कम केन्द्रीय सरकार की तो यह स्थिति है। अतः सरकार का विचार इस क्षेत्र में धीरे धीरे और क्रमानसार कार्य-वाही करने का है, अर्थात् जैसे जैसे विशेष वस्तुओं के बारे में व्यापार अथवा वायदा-व्यापार का अनुभव प्राप्त होता जाएगा।

इसके वर्तमान रूप में इस विधेयक का क्षेत्र बहुत कुछ सीमित सा है। यह एक

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सहायक विधि है । वायदा-व्यापार पर नियंत्रण मुख्यत: सरकार द्वारा मान्य संस्थाओं के माध्यम से चलाया जायेगा । जब कभी सरकार किसी द्रव्य के संबंध में वायदा-व्यापार का नियमन करना चाहेगी तो वह अपने निश्चय को अधिसूचित कर देगी और संस्थाओं से आवेदन-पत्र मांगेगी कि इस विधेयक के खंड ६ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करें । नियमत: किसी एक क्षेत्र में, किसी एक द्रव्य के लिये, केवल एक ही संस्था को मान्यता प्रदान की जायगी । इसी खंड में एक सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति का उपबन्ध भी रखा गया है । मान्य संस्था अपने परिनियमों के अनुकूल ही अपने सदस्यों की दिन प्रति दिन की गतिविधियों का नियमन करेगी । इन परिनियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये सरकार की अनुमति आवश्यक होगी । मान्य संस्था अपने सदस्यों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा सकेगी । सरकार को खंड १०, १२ और १४ के अन्तर्गत किसी संस्था के नियमों और परि-नियमों को बदलने का और संकट काल में इसके काम को निलम्बित कर देने का भी अधिकार होगा ।

विधेयक के खंड ८ के अन्तर्गत सरकार किसी मान्य संस्था अथवा उसके सदस्यों के कामों की जांच भी कर सकती है अथवा वायदा विपणि कमिशन को यह निदेश कर सकती है कि वह उनके हिसाब और अन्य प्रलेखों का निरीक्षण करे । विशेष परिस्थितियों में सरकार खंड १३ के अन्तर्गत किसी संस्था को समाप्त भी कर सकती है अथवा खंड ७ के अन्तर्गत उसकी मान्यता वापस ले सकती है । वायदा-व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण रख सकने के लिये सरकार के लिये यह अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । इस नियन्त्रण के अतिरिक्त इस विधेयक में कुछ और भी विशेषतायें हैं । स्टाक एक्सचेंज के व्यवहारों को जान बूझ कर इस विधेयक के विस्तार क्षेत्र से बाहर रखा गया है । स्टाक एक्जचेंजों के नियमन से कुछ भिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं और सरकार समझती है कि उन्हें पृथक विधान द्वारा ही सुलझाना अच्छा होगा । इस विधेयक के खंड १९ के अन्तर्गत विकल्पों का पूर्ण प्रतिषेध किया जा रहा है । इसी प्रकार "असंक्राम्य विशिष्ट प्रदान संविदाओं" को भी, जिन की परिभाषा खंड २ में दी गई है, इस विधेयक के उपबन्धों से विमुक्त किया जा रहा है सिवाय उन क्षेत्रों के जहां सम्बद्ध द्रव्य के लिये कोई मान्य संस्था काम कर रही हो । पटसन व्यापार के कुछ एक विभागों ने तो अभी से ऐसी विमुक्ति के लिये अभियाचना कर भी दी हुई है ।

विधेयक के खंड ३ में एक वायदा विपणि आयोग की स्थापना का उपबन्ध किया गया है । सरकार को इस अधिनियम के उचित प्रवर्तन में सहायता देने के अति-रिक्त यह आयोग वायदा विपणि के व्यवहार और रचना में सुधार सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें भी देगा । उक्त आयोग का परामर्श केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी प्राप्य होगा , क्योंकि सम्भव है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कुछ एक कृत्यों का प्रत्यायोजन उन्हें कर दे । दो एक माननीय सदस्यों ने इस आयोग के विषय में आपत्ति की है परन्तु यह प्रस्ता-वित आयोग सरकार के अधीन एक निकाय मात्र होगा । इस विधेयक के खंड २५ के अन्तर्गत एक मंत्रणा समिति की नियुक्ति का उपबन्ध भी किया गया है । वायदा विपणि आयोग तो एक छोटा सा निकाय होगा जो ऊंचे स्तर पर काम करेगा । परन्तु

मंत्रणा समिति एक बहुत बड़ा निकाय होगी जिस में असरकारी हित भी सम्मिलित होंगे और जिसका काम सरकार को इस अधिनियम के सम्बन्ध में तथा समय समय पर उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में मंत्रणा देना होगा ।

गत कुछ महीनों में हमारे देश में तथा संसार भर में आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ गया हुआ है और उस का द्रव्य विपणि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है । कई एक द्रव्यों के सम्बन्ध में जो मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति पहले देखने में आ रही थी, वह एकाएक बदल गई है और मुल्यों के भावी झुकाव के बारे में बहुत कुछ अनिश्चितता देखने में आ रही है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के व्यापारी की सुविधा कई एक द्रव्यों के सम्बन्ध में बहुत सहायक हो सकती है ।

सरकार इस समस्या को सुलझाने में किसी पूर्व धारणा से काम नहीं ले रही है । यह तो निश्चित है कि हमें वायदा-व्यापार का नियमन कभी न कभी करना ही है । किस सीमा तक हम यह कर सकते हैं यह चर्चा का विषय है । हम निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कह सकते ।

कुछ एक माननीय सदस्य कहतें हैं कि इस की कुछ आवश्यकता नहीं है । इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी यदि हम हर विषय में एकाधिकार स्थापित कर दें । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में तो हमें इसके लिये कुछ न कुछ उपबन्ध करना ही होगा । सभी प्रकार के सट्टे (स्पेकलेशन) को बुरा नहीं कहा जा सकता, हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में किसी सीमा तक यह आवश्यक सा बन गया है ।

मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति के सदस्यों के नामों में श्री फीरोज गांधी का नाम भी बढ़ा दिया जाय ।

प्रवर समिति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १२ अगस्त, १९५२ को नो बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।